भारतीय रिजर्व बैंक

गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग

केंद्रीय कार्यालय, सेंटर I, विश्व व्यापार केंद्र

कफ परेड, कोलाबा मुंबई - 400 005

भारिबै/गैबैविवि/2016-17/43

मास्टर दिशानिर्देश.गैबैंविवि.नीप्र.006/13.10.119/2016-17 **25 अगस्त, 2016**

मास्टर निदेश - अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016

भारतीय रिजर्व बैंक, जन हित में इसे आवश्यक मानते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि ऋण प्रणाली को देश के हित में विनियमित करने हेतु रिजर्व बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 45जे, 45 जेए, और 45 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इसको समर्थ करने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को 15 मई 1987 की अधिसूचना सं. डीएफ़सी.55./डीजी(ओ)-87 के अधिक्रमण मे निम्नांकित अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 (दिशानिर्देश) जारी करता है।

<u>सूची</u>

विषय
अध्याय I - प्रारंभिक
अध्याय II - परिभाषा
अध्याय III - चलनिधि संपत्ति के अनुरक्षण की आवश्यकता
अध्याय IV - जमा स्वीकार करना
अध्याय V - सार्वजनिक जमा की अदायगी के बारे में सामान्य प्रावधान
अध्याय VI - विविध निर्देश
अध्याय VII - रिपोर्टिंग आवश्यकता
अध्याय VIII - व्याख्या
अध्याय IX - निरसन प्रावधान

अध्याय -I
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और निदेशों का प्रारंभ

(ए) इन निदेशों को "अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016" के रूप में जाना जाएगा।

(बी) ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

2. निदेशों का लागू होना

(1) यह निदेश सभी अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी पर लागू होंगे अर्थात एक गैर-बैंकिंग संस्था, जो एक कंपनी है, चाहे जो भी नाम हो, जो किसी भी योजना या व्यवस्था के तहत किसी भी जमा को प्राप्त करती है, या तो एकमुश्त या फिर अंशदान या सदस्यता के माध्यम से या यूनिट्स या प्रमाण पत्र या अन्य विलेखों की बिक्री से या किसी अन्य तरीके से और जो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - जनता की जमाराशियों को स्वीकार करने संबंधी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 में या विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 में निहित परिभाषाओं के अनुसार, निम्नांकित नहीं है -

(i) एक उपकरण पट्टे पर देने वाली कंपनी

(ii) एक किराया खरीद वित्त कंपनी

(iii) आवास वित्त कंपनी

(iv) एक बीमा कंपनी

(v) एक निवेश कंपनी

(vi) एक ऋण कंपनी

(vii) एक फैक्टर

(viii) एक पारस्परिक लाभ वित्तीय कंपनी

(ix) एक विविध गैर-बैंकिंग कंपनी और

(x) एक पारस्परिक लाभ कंपनी

(2) ये निदेश गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी नियमों को समेकित करता है। हालांकि, बैंक के किसी अन्य विभाग द्वारा जारी एक अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी पर लागू किसी भी अन्य निदेश का उनके द्वारा पालन किया जाएगा।

अध्याय II
परिभाषाएँ

3. इन निदेशों में, जब तक अन्यथा संदर्भ से अपेक्षित न हो, -

(ए) "अधिनियम" का मतलब भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का अधिनियम 2);

(बी) "बैंक" का अर्थ है भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के तहत गठित भारतीय रिजर्व बैंक;

(सी) "जमा" का अर्थ भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45आई (बीबी) में निहितार्थ;

(डी) "जमाकर्ता" अर्थात कोई भी व्यक्ति जिसने कंपनी के साथ जमा रखा है;

(2) इन निदेशों में जिस शब्द या अभिव्यक्ति का इस्तेमाल किया और परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में परिभाषित है, का अधिनियम के तहत उन्हें दिया गया अर्थ माना जाएगा। इन निदेशों में इस्तेमाल किया कोई भी शब्द या भाव यदि इस निदेश या भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में से किसी में परिभाषित नहीं किया गया हो तो उसका अर्थ कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के तहत उसे दिया गया अर्थ माना जाएगा।

अध्याय III
चलनिधि संपत्ति के अनुरक्षण की आवश्यकता

4. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45 आईबी उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 31 जनवरी 1998 से एक अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी द्वारा दूसरे पूर्ववर्ती तिमाही के अंतिम कार्य दिवस पर कारोबार की समाप्ति पर परिसंपत्तियों का प्रतिशत बकाया जमा के दस प्रतिशत पर अनुरक्षित किया जाएगा ।

अध्याय IV
जमा स्वीकार करना

5. अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा जमा स्वीकार करना

12 अप्रैल, 1993 को और इस तारीख से, कोई भी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी ऐसी कोई जमा स्वीकार नहीं करेगी जो मांग या सूचना पर जमा की प्राप्ति की तारीख से 12 महीने से कम या 84 महीने से अधिक की अवधि के लिए प्रतिदेय हो या ऐसी किसी भी जमा को नवीनीकृत नहीं करेगी चाहे वह उस

तारीख के पहले या बाद में प्राप्त की गई हो, जब तक कि इस तरह की जमा का नवीकरण किए जाने पर ऐसी नवीकृत जमा की तारीख से 12 महीने से पहले और 84 माह से अधिक अवधि पर प्रतिदेय नहीं है।

स्पष्टीकरण - जहां जमा किस्तों में प्राप्त होती है, वहां जमा की अवधि पहली किस्त की प्राप्ति की तिथि से गणना की जाएगी।

6. कोई अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी अपने राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए किसी भी जमाकर्ता / ग्राहक से उसकी सहमति के बिना या सहित, कंपनी द्वारा चलाई जा रही किसी भी योजना हेतु किसी भी नाम से प्रसंस्करण या रखरखाव शुल्क नहीं लेगी।

बशर्ते कोई कंपनी एक नए जमाकर्ता/अंशदाता से ब्रोशर, आवेदन फार्म जारी करने और जमाकर्ता के खाते की सर्विसिंग के लिए रुपए 80/- (रुपये अस्सी केवल) से अधिक राशि चार्ज नहीं कर सकते हैं, जहां इस तरह जमा का कुल वार्षिक अंशदान रुपए 500 से कम नहीं है। जहां संकलित कुल जमा राशि रुपए 500 से कम है वहाँ एक बारगी रुपए 80/- की अप्रतिदेय राशि में समानुपातिक रूप से कमी की जानी है। ऐसी कोई राशि दैनिक जमा योजना के तहत प्राप्त जमा पर पर वसूली नहीं जाएगी ।

7. जमाराशियों के संग्रहण के लिए शाखाएं और एजेंटों की नियुक्ति

कोई अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी निम्नांकित को छोड़कर अपनी शाखा नहीं खोलेगी या जमाराशियों के संग्रहण के लिए एजेंटों को प्रतिनियुक्ति नहीं करेगी

(i) ऐसी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी जिसके पास भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आइए के तहत जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र है, अपनी शाखा खोल सकती है या एजेंटों को नियुक्त कर सकती है यदि उसकी

(ए) निवल स्वाधिकृत निधियां 50 करोड़ रु. तक हैं	उस राज्य के अंतर्गत जिसमें उसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है और
(बी) निवल स्वाधिकृत निधियां 50 करोड़ से अधिक है	भारत में कहीं भी स्थित हैं

(ii) (ए) कोई शाखा खोलने के लिए, अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी प्रस्तावित शाखा खोलने की अपनी इच्छा रिज़र्व बैंक को सूचित करेगी;

(बी) ऐसी सूचना की प्राप्ति पर रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि जनहित में या संबंधित अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी के हित में या अभिलिखित किए जानेवाले किसी अन्य संगत कारणों के लिए

उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है और इस बात की सूचना संबंधित अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी को दे सकता है;

(सी) यदि ऐसी सूचना की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर रिज़र्व बैंक से उपर्युक्त (बी) के अधीन किए प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने की सूचना नहीं भेजी जाती है तो संबंधित अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी अपने प्रस्ताव पर अगली कार्रवाई शुरू कर सकती है।

8. शाखाएं बंद करना

कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपनी शाखा/ कार्यालय को, राष्ट्रीय स्तर के किसी एक समाचार पत्र में अथवा संबंधित स्थान में परिचालित स्थानीय भाषा के एक समाचार पत्र में अपनी शाखा/ कार्यालय को बंद करने का इरादा प्रकाशित किए बगैर तथा प्रस्तावित समापन के 90 दिन पहले भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित किए बगैर बंद नहीं कर सकती है।

9. विवेकपूर्ण मानदंड के साथ अनिवार्य अनुपालन

एक अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत महत्वपूर्ण जनता की जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 की अपेक्षाओं का पालन किए बिना जमा को स्वीकार नहीं करेगी और न ही उसे नवीनीकृत करेगी।

10. वापसी की न्यूनतम दर

11 नवंबर 1997 को और उसी तारीख से एक अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी द्वारा उस तारीख से प्राप्त जमा राशि के संबंध में ब्याज, प्रीमियम, बोनस या अन्य लाभ, इसे जो भी नाम दिया जाए, के माध्यम से देय राशि, निम्नांकित तरीके से गणना की गई राशि से कम नहीं होगी -

(i) सालाना राशि एकमुश्त या मासिक या उससे अधिक समय के अंतराल पर जमा पर 8% प्रतिवर्ष (वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर);

(ii) दैनिक जमा योजनाओं के अंतर्गत जमाराशि पर 6% प्रतिवर्ष (वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर);

बशर्ते जहां जमाकर्ता के अनुरोध पर, एक अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद लेकिन उस अवधि की समाप्ति के पहले जिसके लिए जमा स्वीकार की गई थी, जमा की अदायगी करता है, तो कंपनी द्वारा ऐसी जमा राशि पर देय ब्याज, प्रीमियम, बोनस या अन्य लाभ, इस तरह की जमा पर कंपनी द्वारा पूरी अवधि हेतु जमा रखने पर प्रतिदेय ब्याज, बोनस, प्रीमियम या अन्य लाभ के माध्यम से भुगतान की जाने वाली दर से एक प्रतिशत अंक से कम हो जाएगी ।

01 जुलाई 2000 को और से एक अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी द्वारा उस तारीख से प्राप्त जमा राशि के संबंध में ब्याज, प्रीमियम, बोनस या अन्य लाभ, इसे जो भी नाम दिया जाए, के माध्यम से देय राशि, निम्नांकित तरीके से गणना की गई राशि से कम नहीं होगी -

(i) सालाना राशि एकमुश्त या मासिक या उससे अधिक समय के अंतराल पर जमा पर 6% प्रतिवर्ष (वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर); और

(ii) दैनिक जमा योजनाओं के अंतर्गत जमाराशि पर 4% प्रतिवर्ष (वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर);

बशर्ते जहां जमाकर्ता के अनुरोध पर, एक अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद लेकिन उस अवधि की समाप्ति के पहले जिसके लिए जमा स्वीकार की गई थी, जमा की अदायगी करती है, तो कंपनी द्वारा ऐसी जमा राशि पर देय ब्याज, प्रीमियम, बोनस या अन्य लाभ, इस तरह की जमा पर कंपनी द्वारा पूरी अवधि हेतु जमा रखने पर प्रतिदेय ब्याज, बोनस, प्रीमियम या अन्य लाभ के माध्यम से भुगतान की जाने वाली दर से एक प्रतिशत अंक से कम हो जाएगी ।

01 अप्रैल 2003 को और से एक अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी द्वारा उस तारीख से प्राप्त जमा राशि के संबंध में ब्याज, प्रीमियम, बोनस या अन्य लाभ, इसे जो भी नाम दिया जाए, के माध्यम से देय राशि, निम्नांकित तरीके से गणना की गई राशि से कम नहीं होगी -

(i) सालाना राशि एकमुश्त या मासिक या उससे अधिक समय के अंतराल पर जमा पर 5% प्रतिवर्ष (वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर);और

(ii) दैनिक जमा योजनाओं के अंतर्गत जमा राशि पर 3.5% प्रतिवर्ष (वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर);

बशर्ते जहां जमाकर्ता के अनुरोध पर, एक अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद लेकिन उस अवधि की समाप्ति के पहले जिसके लिए जमा स्वीकार की गई थी, जमा की अदायगी करता है, तो कंपनी द्वारा ऐसी जमा राशि पर देय ब्याज, प्रीमियम, बोनस या अन्य लाभ, इस तरह की जमा पर कंपनी द्वारा पूरी अवधि हेतु जमा रखने पर प्रतिदेय ब्याज, बोनस, प्रीमियम या अन्य लाभ के माध्यम से भुगतान की जाने वाली दर से एक प्रतिशत अंक से कम हो जाएगी ।

अध्याय V
जमा की अदायगी के संबंध में सामान्य प्रावधान

11. जमाकर्ताओं को जमाराशियों की परिपक्वता की सूचना देना

अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी का यह दायित्व होगा कि वह जमाराशि की परिपक्वता के ब्यौरे परिपक्वता की तारीख से कम से कम दो महीने पूर्व जमाकर्ता को सूचित करे।

12. सार्वजनिक जमा की देरी से भुगतान के लिए ब्याज का भुगतान

जहां एक आरएनबीसी जमाकर्ता द्वारा किए गए दावे पर परिपक्वता राशि ब्याज के साथ जमा चुकाने में विफल रहती है, तो यह निम्नलिखित तरीके से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी:

(i) यदि कंपनी ने परिपक्वता की तारीख से कम से कम दो महीने पहले जमाकर्ता को परिपक्वता के बारे में सूचित किया और इसके लिए उसके पास पर्याप्त सबूत यथा जमाकर्ता से पावती है, लेकिन जमाकर्ता परिपक्वता पर अपने दावे प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो कंपनी उस जमा पर लागू ब्याज दर पर दावे की तिथि से चुकौती की तारीख तक ब्याज, परिपक्वता पर देय राशि के साथ भुगतान करेगी।

(ii) यदि कंपनी ने परिपक्वता की तारीख से कम से कम दो महीने पहले जमाकर्ता को परिपक्वता के बारे में सूचित नहीं किया है, तो जब भी जमाकर्ता अपने दावे प्रस्तुत करता है, तो कंपनी उस जमा पर लागू ब्याज दर पर परिपक्वता की तिथि से चुकौती की तारीख तक ब्याज, परिपक्वता पर देय राशि के साथ भुगतान करेगी।

13. न्यूनतम अवरुद्धता अवधि और जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में चुकौती

कोई अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी जमाराशि की स्वीकृति की तारीख से बारह महीने की अवधि (अवरुद्धता अवधि) के भीतर जनता की किसी जमाराशि की अवधिपूर्व चुकौती नहीं करेगीः

बशर्ते जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी उत्तरजीवी खंड के साथ संयुक्त धारिता के मामले में जीवित जमाकर्ता/ओं को या मृत जमाकर्ता के नामिती या कानूनी वारिस/सों को जीवित जमाकर्ता/ नामिती/ कानूनी वारिस के अनुरोध पर तथा मृत्यु का सबूत प्रस्तुत किए जाने पर ही, जिससे कंपनी संतुष्ट हो, जनता की जमाराशि की अवधिपूर्व चुकौती अवरुद्धता अवधि में भी कर सकती है।

14. समस्याग्रस्त अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी न होनेवाली किसी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा जमाराशियों की चुकौती

पैरा 13 में निहित प्रावधानों के अधीन समस्याग्रस्त अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी न होनेवाली कोई अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी, 5 अक्तूबर 2004 से पूर्णतः अपने विवेकानुसार जनता की जमाराशि की अवधिपूर्व चुकौती की अनुमति दे सकती है;

बशर्ते उपर्युक्त तारीख के पहले स्वीकृत किसी जमाराशि के मामले में, ऐसी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी जमाराशि की तारीख से 12 महीने की समाप्ति के बाद, संबंधित जमाकर्ता के अनुरोध पर उसकी अवधिपूर्व चुकौती कर सकती है, यदि ऐसी जमाराशि की स्वीकृति की शर्तों से ऐसा करना अनुमत हो।

15. समस्याग्रस्त अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा जमाराशि की चुकौती

पैरा 13 में निहित प्रावधानों के अधीन, केवल निम्नलिखित मामलों में कोई समस्याग्रस्त अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी जमाराशि की अवधिपूर्व चुकौती कर सकती है ताकि जमाकर्ता आकस्मिक स्वरूप के व्ययों को पूरा कर सके, अर्थात्

बहुत छोटी जमाराशि को पूरी तरह चुकाना या अधिकतम 10,000 रुपये तक की जनता की कोई अन्य जमाराशि को चुकाना;

16. समस्याग्रस्त अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा जमाराशियों को जोड़ना

एकल/प्राथमिक रूप से नामवाले एक ही क्षमता के खाते में सभी जमा खाते जोड़ दिए जायेंगे और समस्याग्रस्त अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा अवधिपूर्व चुकौती या ऋण की मंजूरी के प्रयोजन के लिए एक जमा खाते के रूप में माने जाएंगे;

बशर्ते पैरा 13 में किए गए प्रावधान के अनुसार जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में अवधिपूर्व चुकौती पर यह खंड लागू नहीं होगा।

17. जमाराशि की परिपक्वतापूर्व चुकौती पर ब्याज दर

अगर कोई अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी, पूर्णतः अपने विवेकानुसार या जमाकर्ता के अनुरोध पर, जो भी मामला हो, जनता की जमाराशि की स्वीकृति की तारीख से बारह महीने के बाद परंतु उसकी परिपक्वता अवधि के पहले उसकी चुकौती करती है (इसमें जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने पर की गई अवधिपूर्व चुकौती भी शामिल है), तो वह निम्नानुसार दरों पर ब्याज अदा करेगी

12 महीने के बाद परंतु परिपक्वता की तारीख से पहले	जिस अवधि तक जमाराशि कंपनी के पास रही है उस अवधि के लिए जनता की जमाराशि को लागू ब्याज दर से 2 प्रतिशत निम्न दर पर ब्याज अदा किया जाएगा अथवा यदि उक्त अवधि के लिए कोई दर विनिर्दिष्ट नहीं की गई है तो अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा जनता की जमाराशियां जिस न्यूनतम दर पर स्वीकार की जाती है उससे 3 प्रतिशत निम्न दर पर ब्याज अदा किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: इस पैरा के प्रयोजन के लिए,

(ए) 'समस्याग्रस्त अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी' का अर्थ है ऐसी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी -

(i) जो परिपक्व हुई जमाराशियों की चुकौती के लिए की गई वैध मांग को पांच कार्य दिवस के अंदर पूरा नहीं कर सकती हैं या उसकी चुकौती नकारती है; या

(ii) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58 एए के तहत जो छोटे जमाकर्ता को जनता की जमाराशि अथवा उसके हिस्से की चुकौती या उस पर उपचित ब्याज की राशि अदा करने में अपनी चूक के बारे में कंपनी विधि बोर्ड को सूचित करती है; या

(iii) जमाराशि संबंधी अपने दायित्व को पूरा करने के लिए चलनिधि परिसंपत्ति प्रतिभूतियों के आहरण के लिए रिज़र्व बैंक से संपर्क करती है; या

(iv) अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 के या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत महत्वपूर्ण जनता की जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 के उपबंधों से अथवा विवेकपूर्ण मानदंडों के प्रावधानों से जनता की जमाराशि या अन्य दायित्वों की पूर्ति में चूक को टालने हेतु सहायता या रियायत या छूट के लिए रिज़र्व बैंक से संपर्क करती है; या

(v) जिसे रिज़र्व बैंक ने स्वतः या जमाकर्ताओं से जनता की जमाराशियों की चुकौती न किये जाने संबंधी शिकायतों अथवा कंपनी के उधारदाताओं से देय राशियों की अदायगी न किये जाने संबंधी शिकायतों के आधार पर समस्याग्रस्त अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी के रूप में अभिनिर्धारित किया हो।

(बी) 'अत्यंत छोटी जमाराशियों' से तात्पर्य है, अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी की सभी शाखाओं के एक ही प्रकार की क्षमता के सभी एकल अथवा प्रथम नामित जमाकर्ता के नाम में जमाराशियों की कुल राशि 10,000/- रुपये से अधिक नहीं है।'

18. अनिवासी भारतीयों की जमा पर प्रतिफल की न्यूनतम दर

कोई भी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी अनिवासी (बाहरी) खाता योजना के अंतर्गत 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.5/2000-आरबी के अनुसार अनिवासी भारतीयों से प्रत्यावर्तनीय जमाराशियां, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में ऐसी जमाराशियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट दर से अधिक दर पर आमंत्रित अथवा स्वीकृत अथवा उनका नवीकरण नहीं करेगी।

स्पष्टीकरण - उपर्युक्त जमाराशियों की अवधि एक वर्ष से कम तथा तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी।

19. जमाकर्ताओं के लिए सुरक्षा

1 मई, 1997 से और को -

(1) प्रत्येक अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी एक राशि निवेश करेगी और करना जारी रखेगी, जो अधिनियम की धारा 45-आईबी के अंतर्गत आस्तियों में निवेश की गई राशि सहित होगी और 30 जून, 1997 को समाप्त होने वाली तिमाही के किसी भी दिन पर कारोबार की समाप्ति पर और उसके बाद प्रत्येक

तिमाही के किसी भी दिन पर दूसरी पूर्ववर्ती तिमाही के अंतिम कार्य दिवस को कारोबार की समाप्ति पर(चाहे ऐसी राशि देय हो गई हो न हो) जमाकर्ताओं को प्रतिभूतियों में या अन्य निवेश में, जो भार रहित है और वर्तमान बाजार मूल्य से निम्नलिखित तरीके से गणना कर अधिक मूल्य की नहीं है अर्थात्, -

(ए) जमाकर्ताओं को देनदारियों की कुल राशि का 10 प्रतिशत से अनधिक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों या आंशिक रूप से इन बैंकों या वित्तीय संस्थानों में सावधि जमा/ जमा राशि का प्रमाण पत्र के रूप में;

(बी) जमाकर्ताओं को देनदारियों की कुल राशि का 60% से अनधिक एक सरकारी कंपनी या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या किसी राज्य या केन्द्रीय अधिनियमों के अंतर्गत गठित निगम या कंपनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम 1956 का 1) के अंतर्गत एक कंपनी के बॉण्ड या डिबेंचर या किसी भी अनुमोदित प्रतिभूतियों में या उपरोक्त (ए) में दिए गए तरीके के अधीन, हालांकि, निम्नांकित शर्तों के साथ

(i) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्युचुअल फंड) विनियम, 1996 के द्वारा नियंत्रित म्युचुअल फंड की किसी भी योजना में जमाकर्ताओं को देनदारियों की कुल राशि का 2% से अनधिक निवेश किया जाएगा और इस तरह के निवेश देनदारियों की कुल राशि कुल दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी

(ii) देनदारियों की कुल राशि का 10 प्रतिशत से अनधिक कंपनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम 1956 का 1) के अंतर्गत निगमित कंपनी जो एक सहायक कंपनी या होल्डिंग कंपनी या अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी के समूह की कंपनी या किसी सरकारी कंपनी या एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान नहीं है, के डिबेंचर, बॉन्ड या कमर्शियल पेपर्स में निवेश किया जाएगा :

बशर्ते कि इस तरह के बांड या डिबेंचर को किसी अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा न्यूनतम एए + और वाणिज्यिक पत्रों को बैंक द्वारा जारी किए गए अधिसूचना आईईसीडी.नं .1 / 87 (सीपी) -89 / 90 दिनांक दिसंबर 11, 1989 के अनुसार मूल्यांकन किया गया हो;

(सी) जमाकर्ताओं को देनदारियों की कुल राशि का 20 प्रतिशत से अनधिक राशि या कंपनी की निवल स्वाधिकृत निधि का दस गुना, जो भी कम हो, किसी भी तरह से निवेश किया जा सकता है, जिसके लिए कंपनी के निदेशक मंडल का अनुमोदन हो और कंपनी की निवल स्वाधिकृत निधि सकारात्मक है।

हालांकि, जहां इस तरह कंपनी की निवल स्वाधिकृत निधि शून्य या नकारात्मक है, तो ऐसी कंपनी ऐसी राशि का निवेश केवल उपरोक्त (ए) और (बी) के अधीन करेगी।

01 जुलाई 2004 से और को -

(1) प्रत्येक अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी एक राशि निवेश करेगी और करना जारी रखेगी, जो अधिनियम की धारा 45-आईबी के अंतर्गत आस्तियों में निवेश की गई राशि सहित होगी और 30 सितंबर 2004 को समाप्त होने वाली तिमाही के किसी भी दिन पर कारोबार की समाप्ति पर और उसके बाद प्रत्येक तिमाही के किसी भी दिन पर दूसरी पूर्ववर्ती तिमाही के अंतिम कार्य दिवस को कारोबार की समाप्ति पर (चाहे ऐसी राशि देय हो गई हो न हो) जमाकर्ताओं को प्रतिभूतियों में या अन्य निवेश में, जो भार रहित है और वर्तमान बाजार मूल्य से निम्नलिखित तरीके से गणना कर अधिक मूल्य की नहीं है अर्थात्, -

(ए) जमाकर्ताओं को देनदारियों की कुल राशि का 10 प्रतिशत से अनधिक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों या आंशिक रूप से इन बैंकों या वित्तीय संस्थानों में सावधि जमा/ जमा राशि का प्रमाण पत्र के रूप में, बशर्ते कि इस तरह के सावधि जमा/ जमा राशि का प्रमाण पत्र को किसी अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा न्यूनतम एए+ मूल्यांकित किया हो;

(बी) जमाकर्ताओं को देनदारियों की कुल राशि का 70% से अनधिक किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके बाजार उधारी कार्यक्रम के अंतर्गत जारी प्रतिभूति या कंपनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम 1956 का 1) के अंतर्गत एक कंपनी के बॉण्ड या डिबेंचर बॉण्ड या डिबेंचर (जिसकी रेटिंग किसी अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी या स्टॉक एक्सचेंज द्वारा न्यूनतम एए+ मूल्यांकित की हो) या उपरोक्त (ए) में दिए गए तरीके के अधीन, हालांकि, निम्नांकित शर्तों के साथ

(i) जमाकर्ताओं को देनदारियों की कुल राशि का 15% से अनधिक किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके बाजार उधारी कार्यक्रम के अंतर्गत जारी प्रतिभूति में निवेश किया जाएगा:

(ii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (म्युचुअल फंड) विनियम, 1996 के द्वारा शासित म्युचुअल फंड की किसी भी योजना में जमाकर्ताओं को देनदारियों की कुल राशि का 2% से अनधिक निवेश किया जाएगा और इस तरह के निवेश देनदारियों की कुल राशि कुल दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी

बशर्ते 1 जुलाई, 2004 को और से एक अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी, जो ऊपर की आवश्यकता के साथ पालन नहीं करता, निवेश की इस श्रेणी में कमी को पूरा करने तक अन्य प्रतिभूतियों में कोई भी निवेश नहीं करेगा।

बशर्ते कि किसी भी बॉण्ड या डिबेंचर की निर्धारित ग्रेड से नीचे क्रेडिट रेटिंग की पदावनति की स्थिति में, बांड या डिबेंचर उपरोक्त आवश्यकता के अनुसार अयोग्य हो जाएगा और ऐसे रेटिंग कम किए जाने के कारण ऊपरोक्त पैरा के अनुपालन में कमी, यदि कोई हो, को खंड (सी) या (डी) की प्रतिभूतियों में कोई भी आगे निवेश करने से पहले दूर किया जाएगा।

बशर्ते कि एक ही समूह में होल्डिंग कंपनी / सहायक कंपनी / कंपनी द्वारा जारी डिबेंचर / बॉण्ड इस तरह के निवेश के लिए पात्र नहीं होगे।

(सी) 31 मार्च, 2005 से पहले के अवधि के लिए जमाकर्ताओं को देनदारियों की कुल राशि का 20 प्रतिशत से अनधिक या कंपनी की निवल स्वाधिकृत निधि का दस गुना, जो भी कम हो, किसी भी तरीके से निवेश किया जा सकता है, यदि कंपनी की राय में कंपनी के निदेशक मंडल के अनुमोदन से यह सुरक्षित है,

(डी) 01 अप्रैल 2005 को और उसी तारीख से जमाकर्ताओं को देनदारियों की कुल राशि का दस प्रतिशत से अनधिक या कंपनी की निवल स्वाधिकृत निधि के बराबर, जो भी कम हो, किसी भी तरीके से निवेश किया जा सकता है, यदि कंपनी की राय में कंपनी के निदेशक मंडल के अनुमोदन से यह सुरक्षित है,

(ई) 1 अप्रैल, 2006 को और से जमाकर्ताओं को देनदारियों की कुल राशि को केवल उप-पैरा (ए) और (बी) के अनुसार निवेश किया जाएगा ।

01 अप्रैल 2006 से और को -

(1) प्रत्येक अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी एक राशि निवेश करेगी और करना जारी रखेगी, जो अधिनियम की धारा 45-आईबी के अंतर्गत आस्तियों में निवेश की गई राशि सहित होगी और 31 दिसंबर 2005 को समाप्त होने वाली तिमाही के किसी भी दिन पर कारोबार की समाप्ति पर और उसके बाद प्रत्येक तिमाही के किसी भी दिन पर दूसरी पूर्ववर्ती तिमाही के अंतिम कार्य दिवस को कारोबार की समाप्ति पर(चाहे ऐसी राशि देय हो गई हो न हो) जमाकर्ताओं को प्रतिभूतियों में या अन्य निवेश में, जो भार रहित है और वर्तमान बाजार मूल्य से निम्नलिखित तरीके से गणना कर अधिक मूल्य की नहीं है अर्थात्, -

(ए) जमाकर्ताओं को देनदारियों की कुल राशि का 10 प्रतिशत से अनधिक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों या आंशिक रूप से इन बैंकों या वित्तीय संस्थानों में सावधि जमा/ जमा राशि का प्रमाण पत्र के रूप में, बशर्ते कि इस तरह के सावधि जमा/ जमा राशि का प्रमाण पत्र को किसी अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा न्यूनतम एए+ मूल्यांकित किया हो;

(बी) जमाकर्ताओं को देनदारियों की कुल राशि का 75% से अनधिक किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके बाजार उधारी कार्यक्रम के अंतर्गत जारी प्रतिभूति या कंपनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम 1956 का 1) के अंतर्गत एक कंपनी के बांड या डिबेंचर बांड या डिबेंचर (जिसकी रेटिंग किसी अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी या स्टॉक एक्सचेंज द्वारा न्यूनतम एए+ मूल्यांकित की हो या उपरोक्त (ए) में दिए गए तरीके के अधीन, हालांकि, निम्नांकित शर्तों के साथ

(i) जमाकर्ताओं को देनदारियों की कुल राशि का न्यूनतम 15% किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके बाजार उधारी कार्यक्रम के अंतर्गत जारी प्रतिभूति में निवेश किया जाएगा:

(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्युचुअल फंड) विनियम, 1996 के द्वारा शासित म्युचुअल फंड की किसी भी योजना में जमाकर्ताओं को देनदारियों की कुल राशि का 2% से अनधिक निवेश किया जाएगा और इस तरह के निवेश देनदारियों की कुल राशि कुल दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी

बशर्ते 1 अप्रैल 2006 को और से एक अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी, जो ऊपर की आवश्यकता के साथ पालन नहीं करता, निवेश की इस श्रेणी में कमी को पूरा करने तक अन्य प्रतिभूतियों में कोई भी निवेश नहीं करेगा।

बशर्ते कि किसी भी बॉण्ड या डिबेंचर की निर्धारित ग्रेड से नीचे क्रेडिट रेटिंग की पदावनति की स्थिति में, बॉण्ड या डिबेंचर उपरोक्त आवश्यकता के अनुसार अयोग्य हो जाएगा और ऐसे पदावनति के कारण ऊपरोक्त पैरा के अनुपालन में कमी, यदि कोई हो, को खंड (सी) या (डी) की प्रतिभूतियों में कोई भी आगे निवेश करने से पहले दूर किया जाएगा।

बशर्ते कि एक ही समूह में होल्डिंग कंपनी / सहायक कंपनी / कंपनी द्वारा जारी डिबेंचर / बांड इस तरह के निवेश के लिए पात्र नहीं होंगे।

(सी) 01 अप्रैल 2006 से पहले के अवधि के लिए जमाकर्ताओं को देनदारियों की कुल राशि का 5 प्रतिशत से अनधिक या कंपनी की निवल स्वाधिकृत निधि के बराबर, जो भी कम हो, किसी भी तरीके से निवेश किया जा सकता है, यदि कंपनी की राय में कंपनी के निदेशक मंडल के अनुमोदन से यह सुरक्षित है,

(डी) 01 जुलाई 2006 को और से जमाकर्ताओं को 31 दिसंबर 2005 को देनदारियों की कुल राशि के ऊपर वृद्धिशील राशि के बराबर को केवल उप-पैरा (ए) और (बी) के अनुसार निवेश किया जाएगा;

(ई) 1 अप्रैल, 2007 को और से दूसरी पूर्ववर्ती तिमाही के आखरी कार्यदिवस पर जमाकर्ताओं को देनदारियों की कुल राशि को केवल उप-पैरा (ए) और (बी) के अनुसार निवेश किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण: - खंड (डी) के उद्देश्य के लिए, "जमाकर्ताओं के प्रति वृद्धिशील देनदारियां" का आशय 31 दिसंबर, 2005 को जमाकर्ताओं को देनदारियों की कुल राशि से अधिक राशि से है।

(2) प्रत्येक अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी

(i) एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) के साथ एक घटक सहायक सामान्य खाता बही (सीएसजीएल) खाता खोलेगी, या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के साथ पंजीकृत डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से एक निक्षेपागार के साथ एक डीमैट खाता खोलेगी और अधिनियम की धारा 45-आईबी, और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत महत्वपूर्ण जनता की जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली और जमाराशि स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016, के अनुसरण में आवश्यक भार रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों को ऐसे सीएसजीएल खाते या डीमैट खाते में रखेगी;

(ii) उप पैरा (1) के खंड (बी) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को इस तरह के सीएसजीएल खाते में या डीमैट खाते में रखेगी यदि वे डीमैट किए गए हैं; तथा

(iii) जहां गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकृत कार्यालय है उस जगह में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को नामित बैंकर बनाएगी और बैंक या एसएचसीआईएल को पैराग्राफ (1) के उपरोक्त खंड (ए) और (बी) में संदर्भित भार रहित जमा रसीदों और प्रतिभूतियों भौतिक रूप में और ऐसी भार रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों है जो डीमैट नहीं है, को सौपेगी और अनुसूची बी में निर्दिष्ट के रूप में बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को जिसके अधिकार क्षेत्र में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, को नाम और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का स्थान है, जहां वह सीएसजीएल खाता खोला गया है या भौतिक रूप में प्रतिभूतिया रखी है, या एसएचसीआईएल का स्थान जहाँ सीएसजीएल खाता खोला गया है या भौतिक रूप में रखी है या निक्षेपागार (और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट) जहां प्रतिभूतियों को डीमैट खाते में रखा गया है, सूचित करेगी:

बशर्ते जहां एक अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी, उपर्युक्त खंड (iii) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को नामित बैंकर या एसएचसीआईएल के साथ अपने पंजीकृत कार्यालय के स्थान के अलावा किसी अन्य जगह पर इरादा रखता है वह इसे अनुसूची बी में निर्दिष्ट बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके अधिकार क्षेत्र में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, के पूर्व अनुमोदन के साथ ऐसा कर सकती है।

बशर्ते ऐसे सीएसजीएल खाते या डीमैट खाते में रखी गई सरकारी प्रतिभूतियों का निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करते हुए जिसे बाद में बताया गया है, को छोड़कर हाज़िर वायदा अनुबंध या रिवर्स हाज़िर वायदा अनुबंध में प्रवेश कर कारोबार नहीं किया जाएगा ।

(3) उप पैरा (1) में उल्लेख की गई प्रतिभूतियों को उप पैरा (2) में निर्दिष्ट किए अनुसार रखा जाएगा और बैंक के पूर्व अनुमोदन से जमाकर्ताओं को भुगतान को छोड़कर, जमाकर्ताओं के लाभ के लिए अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी द्वारा न वापस ले लिया जाएगा या नहीं भुनाया या अन्यथा रूप में निपटाया जाएगा:

बशर्ते कि,

(i) अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी अपने सार्वजनिक जमा की कमी के अनुपात में ऐसी प्रतिभूतियों के एक हिस्से को इसके लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत उस प्रभाव के लिए प्रमाणित किए जाने पर वापस ले सकती हैं;

(ii) जहां अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी ऐसी भौतिक रूप में रखी प्रतिभूतियों को स्थानापन्न करने के लिए इरादा रखती है, यह निर्दिष्ट बैंक या एसएचसीआईएल में इस तरह की वापसी से पहले बराबर मूल्य की प्रतिभूतियों को रख कर ऐसा कर सकती हैं; तथा

(iii) किसी भी समय इन प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य इन निर्देशों के अध्याय III में निर्दिष्ट सार्वजनिक जमा का प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए ।

(4) जहां अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी या तो तैयार वायदा अनुबंध या रिवर्स तैयार सहित वायदा अनुबंध में प्रवेश कर या अन्यथा, व्यापार करने के लिए, अधिनियम की धारा आईबी 45 खंड और दिशानिर्देशों के अध्याय III के तहत आवश्यक से अधिक सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार करने का इरादा रखती है, वह इसे एक अलग सीएसजीएल या इस तरह के अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियों को रखने के लिए डीमैट खाता खोलने के द्वारा कर सकती है।

(5) जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु अधिनियम की धारा 45 आईबी के अनुपालन हेतु रखी जाने वाली प्रतिभूतियों को सरकारी प्रतिभूतियों वाली एक विशेष सीएसजीएल अथवा डीमैट खाता रखा जाएगा। इस खाते का परिचालन केवल जनता की जमाराशियों की मात्रा में वृद्धि अथवा कमी के कारण प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय अथवा प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर भुनाने के लिए अथवा विशेष परिस्थितियों में जमाकर्ताओं को चुकौती के लिए किया जाएगा।

(6) हर अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी प्रत्येक तिमाही के अंत में कारोबार की समाप्ति 15 दिनों के भीतर बैंक को अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि दूसरे पूर्ववर्ती तिमाही के अंतिम कार्य दिवस को कारोबार की समाप्ति पर जमाकर्ताओं को देनदारियों की कुल राशि से कंपनी द्वारा किए गए निवेश में कम नहीं हैं ।

स्पष्टीकरण: -

(i) 'निवल स्वाधिकृत निधि' अर्थात अधिनियम की धारा 45-आईए में परिभाषित निवल स्वाधिकृत निधि जिसमें इक्विटी में अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय, चुकता तरजीही शेयर शामिल हैं;

(ii) "देनदारियों की कुल मात्रा" का अर्थ होगा जमा की कुल राशि ब्याज, प्रीमियम, बोनस या अन्य लाभ जिस भी नाम से दिए गए हो और अनुबंध की शर्तों के अनुसार जमा की राशि पर अर्जित किए गए हों;

(iii) "तिमाही" का आशय तीन महीने की अवधि जो मार्च, जून, सितंबर या दिसंबर के आखिरी दिन को समाप्त होती है;

(Iv) "अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों" का आशय है -

(ए) क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (क्रिसिल)

(बी) इनवेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड (आईसीआरए)

(सी) क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड (सीएआरई)

(डी) फिच रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (फिच इंडिया)"

(v) 'अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक' एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंक को छोड़कर एक बैंक जो अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल है;

(vi) "सरकारी कंपनी 'एक कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 के तहत परिभाषित अभिप्रेत है;

(vii) “निर्दिष्ट वित्तीय संस्था” इस अधिसूचना की अनुसूची “डी” में सूचीबद्ध संस्थान;

(viii) 'होल्डिंग कंपनी', 'सहायक कंपनी', 'एक ही समूह में कंपनी' शब्द का अर्थ कंपनी अधिनियम, 1956 में उन्हें दिया गया अर्थ होगा।

20. जब्ती की समाप्ति

15 मई 1987 को और से, कोई अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी एक जमाकर्ता द्वारा जमा किसी भी राशि, या उस पर उपार्जित किसी भी ब्याज, प्रीमियम बोनस या अन्य लाभ को जब्त नहीं करेगी।

21 जनता की जमाराशियां मांग करनेवाले आवेदन फॉर्म में निर्दिष्ट किए जानेवाले विवरण

कोई अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा आपूर्त ऐसे फार्म में किए गए लिखित आवेदन को छोड़ कर जनता की कोई जमाराशि स्वीकार अथवा नवीकृत नहीं करेगी, जिसमें कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 58ए के अंतर्गत निर्मित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (विज्ञापन) नियम, 1977 में निर्दिष्ट सभी विवरण होंगे और उसमें जमाकर्ता की विशिष्ट श्रेणी अर्थात् जमाकर्ता कंपनी का शेयरधारक या निदेशक या प्रोमोटर या जनता का सदस्य है, इसका भी उल्लेख होगा। ऐसे आवेदन मे जमाकर्ता को उनके द्वारा जमा की गई राशि पर मिलने वाले प्रतिफल के पूर्ण विवरण होंगे।

22 जमाकर्ता को रसीद देना

(1) प्रत्येक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी जमाराशि के रूप में कंपनी द्वारा इन निदेशों के प्रारम्भ के पहले या बाद मे प्राप्त प्रत्येक राशि के लिए प्रत्येक जमाकर्ता को या उसके एजेंट को या संयुक्त जमाकर्ताओं के समूह को रसीद देगी।

(2) उक्त रसीद संबंधित कंपनी द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित होगी तथा उस पर जमाराशि की तारीख, जमाकर्ता का नाम, जमाराशि के रूप में कंपनी द्वारा प्राप्त की गई राशि अक्षरों में और अंकों में, उसपर देय ब्याज दर, प्रीमियम, बोनस या अन्य लाभ और जिस तारीख को जमाराशि चुकौती योग्य होगी वह तारीख होगी;

23 जमाराशि की पंजी

(1) प्रत्येक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी सभी जमाराशियों के संबंध में एक या अधिक पंजियां रखेगी जिसमें/ जिनमें प्रत्येक जमाकर्ता के मामले में निम्नलिखित विवरण अलग से प्रविष्ट किए जाएंगे, अर्थात्

- (ए) जमाकर्ता का नाम और पता
  (बी) प्रत्येक जमाराशि की तारीख और राशि
  (सी) प्रत्येक जमाराशि की अवधि और नियत तारीख
  (डी) प्रत्येक जमाराशि पर उपचित ब्याज, बोनस अथवा प्रीमियम का दिनांक और राशि
  (ई) प्रत्येक चुकौती की तारीख और राशि
  (एफ) जमाराशि से संबंधित कोई अन्य विवरण

उपर्युक्त पंजी अथवा पंजियां कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में रखी जाएंगी और संबंधित पंजी में जिस किसी जमाराशि के विवरण निहित हैं उसकी चुकौती या नवीकरण की अद्यतन प्रविष्टि जिस

वित्तीय वर्ष में की गई है उस वर्ष के बाद कम से कम आठ कैलेंडर वर्ष तक की अवधि के लिए उसे अच्छी स्थिति में परिरक्षित की जाएगी;

(2) प्रत्येक अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी निर्देशों के प्रारंभ होने के बाद से प्राप्त /प्राप्त होने वाले / या यूनिट्स या प्रमाण पत्र या अन्य विलेखों की बिक्री से जमा के लिए खाते की अलग पुस्तकों और पंजियों को अनुरक्षित करेगी:

बशर्ते यदि वह कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उप-धारा (1) के परंतुक के अनुसरण में अपने पंजीकृत कार्यालय के स्थान के अलावा अन्य किसी स्थान पर, उक्त उप-धारा में निर्दिष्ट खाता बहियां रखती है, तो इस खंड के साथ उसे पर्याप्त अनुपालन माना जाएगा, यदि उपर्युक्त पंजी ऐसे किसी अन्य स्थान पर इस शर्त के साथ रखी जाती है कि उक्त उप-धारा के परंतुक के तहत कंपनी पंजीयक के पास दर्ज की गई नोटिस की प्रति, उसके दर्ज किए जाने के दिन से सात दिन के अंदर उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक को सुपुर्द करती है।

24 निदेशक मंडल की रिपोर्ट में शामिल की जानेवाली जानकारी

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 217 की उप-धारा (1) के तहत संबंधित कंपनी की आम सभा के समक्ष रखी गई निदेशक मंडल की प्रत्येक रिपोर्ट में अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी निम्नलिखित विवरण या जानकारी शामिल करेगी, अर्थात्

(ए) इन निदेशों के प्रावधानों का अनुपालन

(बी) कंपनी के जनता की जमाराशि के खातों की कुल संख्या, जिनकी चुकौती के लिए जमाराशि देय हो जाने की तारीख के बाद जमाकर्ताओं ने दावा नहीं किया है या कंपनी द्वारा उन्हें अदा नहीं किया गया है; और

(सी) उपर्युक्त खंड (i) में निर्दिष्ट तारीखों के बाद दावा न किए गए या अदत्त रहे ऐसे खातों के अधीन कुल देय राशियां।

(2) उपर्युक्त विवरण या जानकारी, संबंधित रिपोर्ट जिस वित्तीय वर्ष से संबंधित है उस वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन की स्थिति से संबंधित होगी और पूर्ववर्ती उप पैराग्राफ के खंड (बी) में यथानिर्दिष्ट, दावा न की गई या वितरित न की गई शेष राशि का कुल यदि पांच लाख रुपए की राशि से अधिक होता है तो उक्त रिपोर्ट में, दावा न की गई या वितरित न की गई जमाकर्ताओं को देय राशियों की चुकौती के लिए निदेशक मंडल द्वारा उठाए गए/ उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदमों संबंधी एक विवरण भी शामिल किया जाएगा।

25. प्रत्येक अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी जमाकर्ताओं से प्राप्त जमा की कुल राशि इस पर प्रतिदेय ब्याज, बोनस, प्रीमियम या अन्य लाभ के साथ खाता बहियों और बैलेंस शीट में देनदारियों के रूप में प्रकट करेगी।

26 विज्ञापन तथा विज्ञापन के बदले में विवरण

(i)प्रत्येक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी, जो जनता की जमाराशि आमंत्रित करती है, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (विज्ञापन) नियम, 1977 के प्रावधानों का अनुपालन करेगी तथा उसके अंतर्गत जारी किए जानेवाले प्रत्येक विज्ञापन में निम्नलिखित भी निर्दिष्ट करेगीः-

(ए) जमाकर्ता को ब्याज, प्रीमियम, बोनस तथा अन्य लाभ के रूप में प्रतिलाभ की वास्तविक दर;

(बी) जमाराशि की चुकौती का स्वरूप;

(सी) जमाराशि की अवधिपूर्णता की अवधि;

(डी) जमाराशि पर देय ब्याज

(ई) यदि जमाकर्ता कंपनी द्वारा किसी भी आकर्षक उपहार / प्रोत्साहन जैसे दुर्घटना बीमा या अतिरिक्त समकक्ष लाभ के लिए पात्र हैं यदि कोई हो, तो इस तरह के अतिरिक्त लाभ / उपहार / प्रोत्साहन के भुगतान की राशि;

(एफ) जमाकर्ता द्वारा जमाराशि अवधि पूर्णता के पूर्व आहरण करने की स्थिति में जमाकर्ता को देय ब्याज दर और वे नियम और शर्तें जिनके अंतर्गत जमाराशि को पुनर्जीवित/नवीनीकृत किया जाएगा

(जी) जिन शर्तों के अधीन जमाराशि स्वीकृत/ नवीकृत की जाएगी उनसे संबंधित अन्य विशेषताएं;

(एच) उसके द्वारा आमंत्रित जमाराशियां बीमाकृत नहीं हैं।

(2) जब कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता से जमाराशि आमंत्रित किए बिना तथा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी जमाराशि आमंत्रित करने की अनुमति दिए बगैर या उसे ऐसी जमाराशि आमंत्रित करने के लिए कारण बताये बगैर जनता की जमाराशि स्वीकार करना चाहती है तो वह ऐसी जमाराशि स्वीकार करने से पहले, भारतीय रिज़र्व बैंक को अभिलेख के लिए विज्ञापन के बदले में एक विवरण देगा जिसमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और विविध गैर-बैंकिंग कंपनियां (विज्ञापन) नियमावली, 1977 तथा उपर्युक्त खंड (1) में दिए विवरणों के अनुसरण में विज्ञापन में शामिल किए जानेवाले आवश्यक सभी विवरण निहित होंगे तथा उक्त खंड (1) में उल्लिखित विवरण उक्त नियमावली में दिए गए तरीके से विधिवत हस्ताक्षरित होगा।

(3) उक्त खंड (2) के तहत दिया जानेवाला विवरण, जिस वित्तीय वर्ष में वह दिया जाता है उसकी समाप्ति की तारीख से 6 महीने की समाप्ति तक या जिस तारीख को आम सभा में संबंधित कंपनी के

समक्ष तुलन-पत्र रखा गया उस तारीख तक या अगर किसी वर्ष की वार्षिक आम सभा आयोजित नहीं की गई है तो, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबंधों के अनुसार जिस अद्यतन तारीख को ऐसी बैठक आयोजित की जानी चाहिए थी उस दिन तक, इनमें से जो भी पहले हो, वैध होगा और उक्त विवरण की वैधता की समाप्ति के बाद संबंधित वित्तीय वर्ष में जनता की जमाराशि स्वीकार करने के पहले प्रत्येक बादवाले वित्तीय वर्ष में एक नया विवरण देना होगा।

27. प्रत्येक अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी जो दिशानिर्देशों के प्रारंभ से पहले कारोबार नहीं कर रही थी, किसी भी जमा को स्वीकार करने के पहले अनुसूची सी में निर्दिष्ट सभी ब्यौरे बैंक को करेगी ।

28. अस्थायी प्रावधान

इस संबंध में जारी किए गए या जारी किए जाने वाले किसी भी दिशानिर्देश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,

(1) इन दिशानिर्देशों के प्रारंभ से पहले प्राप्त या प्राप्त करने हेतु बकाया जमाराशि या जारी किए गए या बेचे गए किसी भी प्रमाण पत्र, इकाइयों या अन्य उपकरणों के संबंध अध्याय IV और पैराग्राफ 11 से 18 में निहित दिशानिर्देश लागू नहीं होंगे।

(2) जहां, दिशानिर्देशों के प्रारंभ से पहले, एक अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी ने अपने जमाकर्ताओं को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए, बैंक या अन्यथा द्वारा निर्धारित जारी कोई निर्देश या शर्तों के अनुसार किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ किसी भी व्यवस्था में प्रवेश किया है तो दिशानिर्देशों के पैरा 19 में निहित कुछ भी लागू नहीं होगा और दिशानिर्देशों के प्रारंभ से पहले जारी किए गए या बेचे प्रमाण पत्र, इकाइयों या अन्य विलेखों या प्राप्त जमा के संबंध में ऐसी व्यवस्था उन्ही नियम और शर्तों पर जारी रहेगी।

29. छूट

भारतीय रिज़र्व बैंक, यदि यह आवश्यक समझता है कि किसी कठिनाई से बचने के लिए अथवा किसी अन्य उचित तथा पर्याप्त कारण के लिए इन निदेशों के अनुपालन के लिए समय बढ़ाने अथवा किसी कंपनी अथवा कंपनियों के वर्ग को उक्त निदेशों के सभी अथवा किसी एक प्रावधान के अनुपालन से सामान्यतः अथवा किसी विशिष्ट अवधि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाई गई ऐसी शर्तों के अधीन छूट दे सकता है।

30. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां सार्वजनिक जमा की स्वीकृति (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 की प्रयोज्यता

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां सार्वजनिक जमा की स्वीकृति (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 में निहित कुछ भी एक अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी के लिए लागू नहीं होगा ।

31. अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 की प्रयोज्यता

ग्राहक से लेनदेन रखने वाली प्रत्येक आरएनबीसी को बैंकिंग विनियमन विभाग द्वारा समय-समय पर संशोधित अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) दिशानिर्देश, 2016 का पालन करना होगा ।

अध्याय - VI
विविध अनुदेश

32. परिसंपत्ति देयता प्रबंधन

(1) अनुबंध I में दी गई एएलएम के दिशानिर्देश आरएनबीसी पर भी लागू होगी चाहे वह सार्वजनिक जमा स्वीकार करती हो या नहीं।

(2) एएलएम प्रणाली को स्थापित करने के लिए पूर्व अपेक्षा एक मजबूत प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) है। आंकड़ों का त्वरित विश्लेषण और समेकन के लिए, एमआईएस को कंप्यूटरीकृत करना और परिपक्वता असंगति और इस तरह की असंगति से जुड़े विभिन्न तरह के जोखिम के संबंध में आस्ति और देयताएं के प्रबंधन के लिए विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करना आवश्यक होगा। आरएनबीसी जल्द से जल्द ऐसे सिस्टम को स्थापित करेगा, यदि पहले से ही नहीं किया गया है।

33. बीमा कारोबार में प्रवेश

(1) बीमा कारोबार में प्रवेश के लिए आरएनबीसी आवश्यक विवरण के साथ उनके सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित आवेदन, गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को, जिसके अधिकार क्षेत्र में आरएनबीसी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, को करना होगा।

(2) आरएनबीसी बीमा एजेंसी कारोबार शुल्क के आधार पर और जोखिम भागीदारी के बिना, निश्चित पात्रता शर्तों के अधीन बैंक की मंजूरी के बिना कर सकती है।

(3) विस्तृत दिशानिर्देश **अनुबंध II** में दिए गए हैं।

34. हाज़िर वायदा संविदाओं, सरकारी प्रतिभूतियों के लेन-देन के निपटान में ढील/संशोधन तथा प्राथमिक निर्गमों में आबंटित प्रतिभूतियों की बिक्री से संबंधित परिचालनीय अनुदेश

सभी अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को अनुदेश दिया जाता है कि वे समय समय पर संशोधित 29 मार्च 2004 के परिपत्र आइडीएमडी.पीडीआरएस.05/10.02.01/2003-04 तथा 11 मई 2005 का

आईडीएमडी.पीडीआरएस.4777, 4779 तथा 4783/10.02.01/2004-05 में सरकारी प्रतिभूतियों के लेन-देन के संबंध में दिए गए दिशानिर्देशों का, जहां भी लागू हों, अत्यंत सावधानीपूर्वक पालन करें। इस संबंध में उन्हें यदि कहीं कोई संदेह हो तो वे आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग को लिखें।

35. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45क्यूबी के अंतर्गत नामांकन नियम

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45क्यूबी के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (बी.आर.अधिनियम) की धारा 45ज़ेडए के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार एक व्यक्ति को नामित कर सकते हैं जिसे, जमाकर्ता/जमाकर्ताओं के निधन पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा जमाराशि लौटायी जाएगी। भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 45ज़ेडए के अंतर्गत बनाये गये बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम, 1985, ही संबंधित नियम हैं। तदनुसार, अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी जमाकर्ताओं द्वारा उक्त नियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट फॉर्म जैसे फार्म में किये गये नामांकनों को स्वीकार करें।

36. चलनिधि अनुपात संबंधी प्रतिभूतियों पर ब्याज वसूलना

यह भी संभव है कि कुछ ऐसी सरकारी प्रतिभूतियां / सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉण्ड हों, जिन्हें अमूर्त नहीं कराया गया हो और जो कागजी रूप में हों जिन्हें नामनिर्दिष्ट बैंक से ब्याज के संग्रहण हेतु सुरक्षित अभिरक्षा से आहरित किया जाता हो और ब्याज संग्रहण के बाद उक्त बैंक में उन्हें पुनः जमा कर दिया जाता हो। उक्त प्रतिभूतियों को आहरित करने और पुनः बैंक में जमा करने की प्रक्रिया से बचने के लिए अब यह निर्णय लिया गया है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां कागजी रूप में रखी हुई इन प्रतिभूतियों पर नियत तारीखों पर ब्याज के संग्रह और उन्हें पुन: अभिरक्षा में रखने के लिए नामनिर्दिष्ट बैंकों को एजेंटों के रूप में प्राधिकृत करेंगी ताकि ये बैंक इन प्रतिभूतियों पर नियत तारीखों पर ब्याज संग्रह कर लें। अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ अपने नामनिर्दिष्ट बैंकर से संपर्क करें और नामनिर्दिष्ट बैंक के पक्ष में मुख्तारनामा दें ताकि वे कागजी रूप में रखी प्रतिभूतियों/रखे गारंटीकृत बांडों पर नियम तारीख को ब्याज संग्रहीत कर सकें।

37. मुचुअल फंड उत्पादों का वितरण

भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकृत आरएनबीसी को म्यूच्युअल फंड उत्पादों के वितरण की अनुमति है बशर्ते सेबी के दिशानिदेशों/विनियम का पालन करें तथा म्यूच्युअल फंड उत्पाद के वितरण के लिए आचार संहिता का पालन करें। विस्तृत दिशानिर्देश **अनुबंध III** में दिए है।

38. जाली बैंक गारंटियों के उपयोग द्वारा धोखा देने का प्रयास - कार्य-प्रणाली

धोखाधड़ी के प्रयास के कुछ ऐसे प्रसंगों की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को दी गयी है जिसमें दो बैंक शाखाओं द्वारा विभिन्न संस्थाओं के पक्ष में कथित रूप से जारी बैंक गारंटियों (बीजी) को कुछ लाभार्थी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ वाणिज्य बैंकों/व्यक्तियों द्वारा पुष्टिकरण हेतु प्रस्तुत किया गया है। बैंक गारंटियां पुष्टि सूचना/ स्वीकृति सूचना के साथ प्रस्तुत की गई थीं। लाभार्थियों में से एक रिपोर्टिंग बैंक का ग्राहक था। शेष लाभार्थी व आवेदक न तो बैंक के ग्राहक थे और न ही बैंक शाखा के अधिकारी उन्हें जानते थे।

उपर्युक्त बैंक गारंटियों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ये बैंक गारंटियां फर्जी थीं और बैंक गारंटियों पर किए गए बैंक अधिकारियों के हस्ताक्षर नकली थे। कथित रूप से जिन बैंक शाखाओं ने बैंक गारंटियां जारी की थीं उन्होंने भी इसकी पुष्टि की है कि उन्होंने इसे जारी नहीं किया है। यहाँ तक कि बैंक गारंटियों के प्रारूप व उनके क्रमांक भी उक्त बैंक में प्रयुक्त प्रारूप व क्रमांक से मेल नहीं खाते थे।

आरएनबीसी को सूचित किया जाता है कि उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ऐसे मामलो पर कार्रवाई करते समय उचित सावधानी बरतें।

39. क्रेडिट कार्ड जारी करना

बैंक के पास पंजीकृत आरएनबीसी को डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, संग्रहीत मूल्य कार्ड जारी करने, चार्ज कार्ड, आदि जारी करने की अनुमति नहीं है चूंकि इस तरह के कार्ड मांग जमा की तरह है और वे कार्ड धारकों की सुविधा पर देय हैं और मांग पर देय जमा की स्वीकृति एक बैंकिंग कार्य है। अतः ऐसे कार्ड **को जारी करना वर्तमान दिशा-निर्देश का उल्लंघन है।**

40. अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण- "कॉल न करें" की राष्ट्रीय सूची (नेशनल डू नॉट कॉल रजिस्ट्री)

भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण को रोकने के लिए दूर संचार अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण विनियमन ("दि टेलीकाम अनसालिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन्स (यूसीसी) रेगुलेशन,) बनाया है। इसके अलावा, दूर संचार विभाग (DoT) ने 6 जून 2007 को टेलीमार्केटर्स को सबंधित दिशानिर्देश के साथ-साथ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी की है। इन दिशानिर्देशों से टेलीमार्केटर्स को दूर संचार विभाग (DoT) या दूरसंचार विभाग द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी एजेंसी में अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया है तथा यह भी विनिर्दिष्ट किया गया है कि टेलीमार्केटर्स अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण के संबंध में दूर संचार विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा आदेशों/निर्देशों एवं ट्राई द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों/विनियमों का अनुपालन करेंगे। इस संबंध में विस्तृत क्रियाविधि ट्राई की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर भी उपलब्ध है।

(2) अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां

i) ऐसे टेलीमार्केटर्स (डीएसए/डीएमए) की सेवाएं न लें जिसने दूर संचार विभाग, भारत सरकार से टेलीमार्केटर्स का वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र न लिया हो; आरएनबीसी केवल उन्हीं टेलीमार्केट्स की सेवाएं लेंगी जो समय-समय पर समस्त संवर्धन /टेली मार्केटिंग कार्यों के प्रयोजन से ट्राई के दिशानिर्देशों के अनुरूप पंजीकृत हैं।

ii) वे जिन टेलीमार्केटर्स (डीएसए/डीएमए) की सेवाएं लें, उनकी सूची, टेलीमार्केटर्स द्वारा टेलीमार्केटिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टर्ड टेलीफोन नंबरों के साथ ट्राई को दें; तथा

iii) वे यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा संप्रति जिन एजेंटों की सेवाएं ली जाती हैं, वे दूर संचार विभाग (DOT) के पास अपना रजिस्ट्रेशन टेलीमाकेटर्स के रूप में करवा लें ।

41. सरकार की 'हरित पहल' (ग्रीन इनिशियेटिव) का कार्यान्वयन

अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों से अनुरोध है कि इस संबंध में अग्र सक्रिय कदम उठायें और उत्तर-दिनांकित चेक का समापन तथा अपने दैनिक कारोबारी विनिमय में क्रमबद्ध तरीके से चेक का समापन करते हुए इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणाली को बढ़ायें। इससे परिणामस्वरूप विनिमय का समायोजन सटीक, कम लागत वाला, तेज तथा प्रभावी होगा.

42 को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करना

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को, चयनित आधार, पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के साथ, बिना जोखिम की हिस्सेदारी के, को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से प्रारंभ में दो वर्षों के लिए एवं तदुपरांत समीक्षा के अधीन जारी करने की अनुमति दी जाए। न्यूनतम पात्रता अपेक्षाओं को पूरी करने वाली तथा कतिपय विनिर्धारणों का पालन करने वाली अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनिया एतदर्थ आवेदन करने की पात्र हैं। पात्रता की शर्तें अनुबंध IV मे दी गई है।

अध्याय - VII
रिपोर्टिंग अपेक्षाओं का पालन

43. गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों के बारे में यथा निर्धारित रिपोर्टिंग अपेक्षाओं का अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा पालन किया जाएगा।

अध्याय - VII
व्याख्याएं

44. इन दिशा-निर्देश के प्रावधानों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, बैंक, अगर आवश्यक समझता है, तो इसमे शामिल किसी भी बात के साथ साथ बैंक द्वारा दिए गए निर्देशों के किसी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है जो अंतिम और सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होगा। इन निर्देशों का उल्लंघन अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करेगा। इसके अलावा, ये प्रावधान तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों या निर्देश के प्रावधानों के अलावा होंगे और उन्हे न्यूनप्रभावी नहीं करेंगे ।

45. यह स्पष्ट किया जाता है कि समय-समय पर यथासंशोधित अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनिया (रिजर्व बैंक) दिशानिदेश, 1987 का अधिक्रमण निम्नांकित को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा

(i) इसके अधीन अधिग्रहित, अर्जित या उपार्जित कोई अधिकार, दायित्व या अधिग्रहित दायित्व;

(ii) इसके अधीन किए गए किसी उल्लंघन के लिए दंड, जब्ती, या सजा;

(iii) पूर्वोक्त किसी भी जांच, कानूनी कार्यवाही या किसी भी तरह के अधिकार के संबंध में उपाय, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, दंड, जब्ती या सजा और ऐसे किसी भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय का गठन किया जा सकता है जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है जैसे उन दिशानिर्देशों को अधिक्रमित ही न किया गया हो।

अध्याय - IX
निरसन प्रावधान

46. इन निदेशों के जारी करते ही बैंक द्वारा जारी किए गए निम्न परिपत्रों (सूची नीचे प्रदान की है) में निहित दिशानिर्देशों को निरस्त कर दिया माना जाए । उपरोक्त परिपत्रों के तहत दिए गए सभी अनुमोदन / स्वीकृतियां इन निदेशों के तहत दिए गए माने जाएंगे। ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरस्त कर दिए अनुदेश / दिशा-निर्देशों के अधीन की गई /शुरू की गई किसी भी कार्रवाई कथित अनुदेश / दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के द्वारा निदेशित किया जाना जारी रहेगा।

क्रम सं.	परिपत्र संख्या	दिनांक	विषय
1.	अधिसूचनासं.डीएफसी (सीओसी)-68/ईडी(एस)-93	10 अप्रैल 1993	एनबीएफसी विनियमन में संशोधन
2.	अधिसूचना सं.डीएफसी (सीओसी)-69/ईडी(एस)-93	19 अप्रैल 1993	एनबीएफसी विनियमन में संशोधन
3.	अधिसूचना सं.75	19 अप्रैल 1993	एनबीएफसी विनियमन में संशोधन
4.	अधिसूचना सं.डीएफसी (सीओसी)-82/ईडी(जेआरपी)-96	22 मार्च 1996	एनबीएफसी विनियमन में संशोधन
5.	अधिसूचना सं.85	07 जुलाई 1996	एनबीएफसी विनियमन में संशोधन
6.	अधिसूचना सं.88	24 जुलाई 1996	एनबीएफसी विनियमन में संशोधन
7.	अधिसूचना सं.95	01 जनवरी 1997	एनबीएफसी विनियमन में संशोधन
8.	अधिसूचना सं.102	31 मार्च 1997	एनबीएफसी विनियमन में संशोधन
9.	अधिसूचना सं.105	31 मार्च 1997	एनबीएफसी विनियमन में संशोधन
10.	अधिसूचना सं.113	11 नवंबर 1997	एनबीएफसी विनियमन में संशोधन
11.	अधिसूचना सं.डीएनबीएस.136 /सीजीएम (वीएसएनएम)-2000	13 जनवरी 2000	अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987
12.	अधिसूचना सं.डीएनबीएस.143 /सीजीएम (वीएसएनएम)-2000	30 जून 2000	अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987
13.	डीएनबीएस(पीडी).सीसी.सं.15/02. 01/2000-2001	27 जून 2001	एनबीएफसी के लिए आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) प्रणाली - दिशा-निर्देश
14.	डीएनबीएस(पीडी).सीसी.सं.16/02. 01/2000-2001	27 जून 2001	एनबीएफसी विनियमन में संशोधन
15.	डीएनबीएस(पीडी).सीसी.सं.18/02. 01/2001-2002	01 जनवरी 2002	एनबीएफसी के लिए आरबीआई विनियमन
16.	डीएनबीएस(पीडी).सीसी.सं.21/02. 01/2002-2003	01 अक्तूबर 2002	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-विनियमन में संशोधन (i) सरकारी प्रतिभूतियों में अंतरण
17.	डीएनबीएस(पीडी).सीसी.सं.25/02. 02/2002-2003	29 मार्च 2003	एनबीएफसी और आरएनबीसी के लिए आरबीआई विनियमन में

			संशोधन
18.	डीएनबीएस(पीडी).सीसी.सं.26/02.02/2002-03	31 मार्च 2003	अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी (आरएनबीसी) - जमाओं पर न्यूनतम आय की दर- आरएनबीसी निर्देशों में संशोधन
19.	डीएनबीएस(पीडी).सीसी.सं.27/02.05/2003-04	28 जुलाई 2003	एनबीएफसी जमाओं के लिए आरबीआई अधिनियम की धारा 45क्यूबी के तहत नामाकन नियम
20.	अधिसूचना डीएनबीएस.171.सीजीएम (ओपीए)-2003	31 जुलाई 2003	अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987
21.	डीएनबीएस.171.सीजीएम (ओपीए)-2003	31 जुलाई 2003	एनबीएफसी के लिए आरबीआई विनियमन में संशोधन- विशिष्ट डीमैट खाते में चलनिधि आस्ति प्रतिभूतियों का सुरक्षित जमानत
22.	डीएनबीएस(पीडी).सीसी.सं.31/02.01/2003-04	19 सितंबर 2003	अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी (आरएनबीसी) - एनआरई जमाओं पर ब्याज दर
23.	डीएनबीएस(पीडी).सीसी.सं.32/02.01/2003-04	28 अक्तूबर 2003	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) विविध गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एमएनबीसी) और अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- एनआरई जमाओं पर ब्याज दर
24.	डीएनबीएस(पीडी).सीसी.सं.33/02.01/2003-04	30 अक्तूबर 2003	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, विविध गैर बैंकिंग कंपनी और अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी- एनआरआई जमाओं पर ब्याज दर
25.	डीएनबीएस(पीडी).सीसी.सं.35/10.24/2003-04	10 फरवरी 2004	बीमा कारोबार में एनबीएफसी का प्रवेश
26.	डीएनबीएस(पीडी).सीसी.सं.36/02.	20 अप्रैल 2004	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, विविध

	01/2003-04		गैर बैंकिंग कंपनी और अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी- एनआरआई जमाओं पर ब्याज दर
27.	डीएनबीएस(पीडी).सीसी.सं.37/02.02/2003-04	17 मई 2004	एसएलआर प्रतिभूतियों पर ब्याज की वसूली
28.	डीएनबीएस(पीडी).सीसी.सं.38/02.02/2003-04	11 जून 2004	सरकारी प्रतिभूतियों में अंतरण
29.	डीएनबीएस(पीडी).सीसी.सं.40/02.01/2003-04	22 जून 2004	आरएनबीसी द्वारा निर्देशित निवेश का रख-रखाव
30.	डीएनबीएस(पीडी).सीसी.सं.41/10.27/2004-05	07 जुलाई 2004	क्रेडिट कार्ड जारी करना
31.	डीएनबीएस(पीडी).सीसी.सं.44/02.01/2004-05	5 अक्तूबर 2004	जनता की जमाराशियों अथवा जमाओं का अवधिपूर्व चुकौती
32.	डीएनबीएस(पीडी).सीसी.सं.49/02.02/2004-05	09 जून 2005	हाज़िर वायदा संविदाओं, सरकारी प्रतिभूतियों के लेन-देन के निपटान में ढील/संशोधन तथा प्राथमिक निर्गमों में आबंटित प्रतिभूतियों की बिक्री से संबंधित परिचालनीय अनुदेश
33.	डीएनबीएस(पीडी).सीसी.सं.60/02.01/2005-06	09 दिसंबर 2005	जनता की जमाराशियों अथवा जमाओं का अवधिपूर्व चुकौती
34.	डीएनबीएस(पीडी).सीसी.सं.65/04.18.001/2005-06	31 मार्च 2006	आरएनबीसी द्वारा निर्देशित निवेश का रख-रखाव
35.	डीएनबीएस(पीडी).सीसी.सं.66/04.18.001/2005-06	04 अप्रैल 2006	आरएनबीसी द्वारा निर्देशित निवेश का रख-रखाव- स्पष्टीकरण
36.	डीएनबीएस(पीडी).सीसी.सं.83/03.10.17/2006-07	04 दिसंबर 2006	को-ब्रैंडेड क्रेडिट कार्ड जारी करना
37.	डीएनबीएस(पीडी).सीसी.सं.84/03.10.27/2006-07	04 दिसंबर 2006	एनबीएफसी द्वारा म्युचुअल फंड उत्पादों का वितरण
38.	डीएनबीएस(पीडी).सीसी.सं.110/0	14 दिसंबर 2007	अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व

	4.18.001/2007-08		बैंक) निदेश, 1987- जमाओं के विलंबित चुकौती के लिए ब्याज का भुगतान
39.	डीएनबीएस(पीडी).सीसी.सं.:95/03.02.002/2006-07	24 मई 2007	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा लगाये जाने वाले अत्यधिक ब्याज दर के संबंध में शिकायत
40.	डीएनबीएस(पीडी).सीसी.सं.:124/03.10.42/2008-09	31 जुलाई 2008	आय पर कर के लिए लेखांकन- लेखांकन मानक 22- पूँजी की गणना के लिए आस्थिर कर परिसंपत्तियों और आस्थिर कर देयताओं की गणना
41.	डीएनबीएस(पीडी).सीसी.सं.:245/03.10.42/2011-12	27 सितंबर 2011	जाली बैंक गारंटियों के उपयोग द्वारा धोखा देने का प्रयास - कार्य - प्रणाली
42.	डीएनबीएस(पीडी).सीसी.सं.:248/03.10.01/2011-12	28 अक्तूबर 2011	सरकार की हरित पहल का कार्यान्वयन
43.	डीएनबीएस(पीडी).सीसी.सं.:353/03.10.42/2013-14	26 जुलाई 2013	अनचाहा वाणिज्यिक संप्रेषण- राष्ट्रीय डु नॉट कॉल पंजीकरण

(मनोरंजन मिश्रा)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुसूची बी

(कृपया इन निदेशों के पैरा 19 (2) को देखें)

प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्र

कार्यालय के नाम और पते	अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र
1. अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय, प्रथम तल, मुख्य भवन, गांधी सेतु के पास अहमदाबाद - 380 014.	गुजरात राज्य तथा संघशासित क्षेत्र दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली
2. बंगलूर क्षेत्रीय कार्यालय, 10-3-8, नृपतुंगा रोड, बंगलूर - 560 002.	कर्नाटक राज्य
3. भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय, होशंगाबाद रोड, पोस्ट बॉक्स सं.32, भोपाल - 462 011.	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य
4. भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय, पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग पोस्ट बैग सं. 16, भुवनेश्वर - 751 001.	उड़ीसा राज्य
5. कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता - 700 001.	सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य तथा संघशासित क्षेत्र अंदमान और निकोबार द्वीप समूह
6. चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय, 11, सेन्ट्रल विस्टा नया कार्यालय भवन टेलीफोन भवन के सामने, सेक्टर 17, चंडीगढ़ - 160 017.	हिमाचल प्रदेश, पंजाब राज्य और संघशासित क्षेत्र चंडीगढ़
7. चेन्नै क्षेत्रीय कार्यालय, फोर्ट ग्लासिस, राजाजी पथ,	तमिलनाडु राज्य तथा संघशासित क्षेत्र पांडिचेरी

चेन्नै - 600 001.

8.	गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय, स्टेशन रोड, पान बाज़ार, पोस्ट बॉक्स सं.120, गुवाहाटी - 781 001.	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य
9.	हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय, 6-1-56, सेक्रेटेरियट रोड, सैफाबाद, हैदराबाद - 500 004.	आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना
10.	जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय, राम बाग सर्कल, टोंक रोड, पी.बी. सं.12, जयपुर - 302 004.	राजस्थान राज्य
11.	जम्मू क्षेत्रीय कार्यालय, रेल हेड कॉम्प्लेक्स, पोस्ट बैग सं.1, जम्मू - 180 012.	जम्मू और कश्मीर राज्य
12.	कानपुर क्षेत्रीय कार्यालय महात्मा गांधी मार्ग, कानपुर - 208 001.	उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्य
13.	मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्टेशन के सामने, भायखला, मुंबई - 400 008.	गोवा और महाराष्ट्र राज्य
14.	नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110 001.	हरियाणा राज्य और दिल्ली के राष्ट्रीय कैपिटल टेरिटोरी
15.	पटना क्षेत्रीय कार्यालय, गांधी मैदान के दक्षिण,	बिहार और *झारखण्ड* राज्य

	पोस्ट बैग सं.162, पटना-800 001.	
16.	तिरुवनन्तपुरम क्षेत्रीय कार्यालय, बेकरी जंक्शन, तिरुवनन्तपुरम-695 033.	केरल राज्य तथा संघशासित क्षेत्र लक्षद्वीप

अनुसूची सी

(कृपया इन दिशा-निर्देश के पैरा 27 देखें)

भारतीय रिजर्व बैंक

गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

कोलकाता / मुंबई / बेंगलुरू / नई दिल्ली

1. कंपनी का नाम

   पता:

   (i) पंजीकृत कार्यालय

   (ii) प्रशासनिक कार्यालय

   (iii) कार्यालयों की शाखा(ए)

2. निगमन की तारीख

3. निदेशक मंडल

   (ए) निदेशकों के नाम आवासीय पते के साथ

   (i)

   (ii)

   (iii)

   (बी) कंपनी के प्रमुख अधिकारियों के नाम और पदनाम के साथ आवासीय पते

4. ज्ञापन और संघ के लेख की एक निदेशक द्वारा विधिवत अभिप्रमाणित एक अद्यतन प्रतिलिपि

5. कंपनी द्वारा चलाई जा रही /प्रस्तावित योजनाओं के प्रकार के विवरण (जैसे

प्रतिफल की दर, जमा की अवधि) ।
(पर्चे, साहित्य संलग्न किया जाना चाहिए)

6. जारी किए जाने वाले मसौदा विज्ञापन की प्रस्ताव की प्रति

7. पूंजी संरचना (रूपये की लाख में राशि)

(ए) अधिकृत

(बी) जारी किए गए

(सी) प्रदत्त

ह./ -

प्रबंधक / प्रबंध निदेशक /प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम .

पद .

तारीख :

स्थान :

अनुसूची 'डी'

<u>निर्दिष्ट वित्तीय संस्थाओं की सूची</u>

(कृपया इन दिशानिर्देश के पैरा 19 के स्पष्टीकरण देखें)

1	आईडीबीआई
2	आईएफसीआई लिमिटेड
3	आईआईबीआई लिमिटेड
4	टीएफ़सीआई लिमिटेड
5	आईडीएफसी लिमिटेड
6	एक्जिम बैंक
7	एनएचबी
8	सिडबी
9	नाबार्ड
10	पीएफसी लिमिटेड
11	आरईसी लिमिटेड
12	आईआरएफसी लिमिटेड
13	इरेडा लिमिटेड
14	एनईडीएफआई लिमिटेड
15	हुडको लिमिटेड
16	यूटीआई
17	एलआईसी
18	जीआईसी
19	एनआईसी
20	एनआईए
21	ओआईसी
22	यूआईआई

अनुलग्नक-I

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में आस्ति - देयता प्रबंधन (एएलएम) प्रणाली के लिए दिशानिर्देश

सामान्य रूप में, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को परिसंपत्ति-देनदारी में होने वाले परिवर्तनों को देखते हुए ऋण एवं बाजार संबंधी जोखिम होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय वित्तीय बाजारों में उदारीकरण और बाहरी बाजारों के साथ घरेलू बाजार के बढ़ते एकीकरण और न केवल कॉरपोरेट्स लेकिन खुदरा क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश के साथ, एनबीएफसी परिचालन से जुड़े जोखिम जटिल और बड़े हो गए हैं जिसके लिए कार्यनीतिक प्रबंधन की जरूरत पड़ेगी। एनबीएफसी अब एक काफी अविनियमित माहौल में काम करती रही हैं और उन्हें गतिशील आधार पर अग्रिम और जमा पर बैंक द्वारा ब्याज की अधिकतम दर की अधिकतम सीमा के अधीन स्वयं ब्याज दरों को निर्धारित कर सकते हैं। सरकार और अन्य प्रतिभूतियों में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के निवेश पर ब्याज दर भी अब बाजार आधारित हैं। आस्ति और देयताएं से जुड़े व्यापार दोनों के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा ने लाभप्रदता और दीर्घकालिक व्यवहार्यता के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रखने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रबंधन पर दबाव पैदा हुआ है। अविवेकी चलनिधि प्रबंधन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की आय और प्रतिष्ठा को गहरे खतरे में डाल सकते हैं। ये दबाव से संरचित और व्यापक उपायों के लिए मांग करते है और न सिर्फ ***तदर्थ*** कार्रवाई की। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रबंधन को कॉर्पोरेट कार्यनीति से प्रेरित एक गतिशील और एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रिया पर अपने व्यवसाय के फैसले करने होंगे। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपने व्यापार के क्रम में कई प्रमुख जोखिम जैसे ऋण जोखिम, ब्याज दर जोखिम, इक्विटी/वस्तुओं के मूल्य जोखिम, चलनिधि जोखिम और परिचालन जोखिम - से जुड़े होते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनिया प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रणाली अपनाए ताकि ब्याज दर और चलनिधि जोखिमों से संबंधित मुद्दों का समाधान हो सकें।

2. एनबीएफसी को अपने जोखिम प्रबंधन के उन्नयन हेतु अब तक अपनाए गए और अधिक व्यापक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) प्रथाओं को अपनाने के द्वारा एक संरचित तरीके से इन खतरों को दूर करने की जरूरत है। एएलएम, अन्य कार्यों के बीच, जोखिम प्रबंधन के साथ भी संबंधित है और वित्तीय प्रणाली के प्रमुख ऑपरेटरों की ब्याज दर इक्विटी बारीकी और कमोडिटी मूल्य जोखिम को मापने, निगरानी करने के लिए एक व्यापक और गतिशील रूपरेखा प्रदान करता है जिसे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की व्यापार कार्यनीति के साथ एकीकृत करने की जरूरत है । यह जोखिम के मूल्यांकन हेतु एक गतिशील रूप से विभिन्न प्रकार के जोखिम का प्रबंधन करने और परिसंपत्ति देनदारी पोर्टफोलियो में फेरबदल को शामिल करता है।

3. यह नोट एनबीएफसी में ब्याज दर और चलनिधि जोखिम प्रबंधन प्रणाली के संबंध में व्यापक दिशा निर्देश देता है, जो परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) कार्य का हिस्सा है। एएलएम कार्य के प्रारंभिक लक्ष्य जोखिम प्रबंधन अनुशासन को लागू करना है जिसमे शामिल जोखिम का आकलन करने के बाद व्यापार प्रबंधन किया जाएगा। अच्छा जोखिम प्रबंधन प्रणाली का उद्देश्य होना चाहिए कि यह प्रणालियां गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रबंधन के लिए एक कार्यनीति उपकरण में विकसित हो।

4. एएलएम प्रक्रिया तीन स्तंभों पर आधारित है:

- एएलएम सूचना प्रणाली
    - प्रबंधन सूचना प्रणाली
    - सूचना की उपलब्धता, सटीकता, पर्याप्तता और तीव्रता
- एएलएम संगठन
    - संरचना और जिम्मेदारियां
    - शीर्ष प्रबंधन भागीदारी के स्तर
- एएलएम प्रक्रिया
    - जोखिम मानदंड
    - जोखिम की पहचान
    - जोखिम माप
    - जोखिम प्रबंधन
    - जोखिम नीतियां और सहनशीलता का स्तर।

5. **<u>एएलएम सूचना प्रणाली</u>**

5.1 एएलएम एक प्रबंधन दर्शन द्वारा समर्थित होना चाहिए जो स्पष्ट रूप से जोखिम नीतियों और सहनशीलता की सीमा को निर्दिष्ट करता है। इस ढांचे को बेक अप के रूप में आवश्यक सूचना प्रणाली के साथ अच्छी कार्यप्रणाली पर निर्माण किया जाना चाहिए। इस प्रकार, सूचना एएलएम प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, यह मान्यता है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विभिन्न व्यापार प्रोफाइल के कारण सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए एक **समान एएलएम प्रणाली** को अपनाना संभव नहीं हैं। दुनिया में जोखिम को मापने के लिए विभिन्न तरीके प्रचलित हैं। इसमें साधारण अंतराल-विवरण से लेकर अत्यंत परिष्कृत और डेटा गहन जोखिम समायोजित लाभप्रदता माप तरीके शामिल हैं। हालांकि संपूर्ण एएलएम गतिविधि के लिए केंद्रीय तत्व पर्याप्त और सही जानकारी

की उपलब्धता है; और मौजूदा प्रणालिया, यदि कोई हो, कुछ प्रमुख गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में आवश्यक तरीके से एएलएम के लिए आवश्यक जानकारी पैदा नहीं की जाती हैं। समय पर सही ढंग से सटीक डाटा एकत्रित करना गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, विशेष रूप से उनमे जहां पूर्ण पैमाने पर कम्प्यूटरीकरण की कमी है। हालांकि, जोखिम माप और निगरानी के लिए आधार सूचना प्रणाली की शुरूआत करने की समस्या को तुरंत दूर किया जाना चाहिए।

5.2 एनबीएफसी में विषम संगठनात्मक संरचना, पूंजी आधार, परिसंपत्ति आकार, प्रबंधन प्रोफाइल, व्यावसायिक गतिविधियां और भौगोलिक फैलाव है। उनमें से कुछ शाखाओं और एजेंट / दलालों की बड़ी संख्या है, जबकि कुछ के एक ही कार्यालय है। शाखाओं के बड़े नेटवर्क और एएलएम के लिए आवश्यक (एक पर्याप्त) जानकारी इकट्ठा करने के लिए समर्थन प्रणाली की कमी है जो अवशिष्ट परिपक्वता और देनदारियों और परिसंपत्तियों के रीप्राइजिंग पैटर्न के आधार पर जानकारी का विश्लेषण करती है, को देखते हुए, वर्तमान स्थिति में एनबीएफसी को अपेक्षित जानकारी मिलने में समय लगेगा। निवेश पोर्टफोलियो और धन प्रबंधन के संबंध में, कार्यों की केंद्रीकृत प्रकृति को देखते हुए, विश्वसनीय जानकारी इकट्ठा करना बहुत आसान होगा। एएलएम ढांचे के भीतर काम करने के गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी प्रबंधन के अनुभव के आधार पर डेटा और मान्यताओं को समय के साथ परिष्कृत किया जा सकता है । कम्प्यूटरीकरण के प्रसार से भी डेटा तक पहुँचने में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में मदद मिलेगी।

6. <u>एएलएम संगठन</u>

6.1 क) जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया के सफल कार्यान्वयन के लिए एनबीएफसी में वरिष्ठ प्रबंधन की ओर से मजबूत प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी जो की बुनियादी संचालन और कार्यनीतिक जोखिम प्रबंधन के साथ एकीकृत निर्णय लेगी। बोर्ड की जोखिम के प्रबंधन के लिए समग्र जिम्मेदारी होनी चाहिए और इसे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के जोखिम प्रबंधन नीति तय करना है और चलनिधि, ब्याज दर और इक्विटी मूल्य जोखिम के लिए सीमा तय करनी चाहिए।

ख) आस्ति-देयता समिति (एल्को) जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सहित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन है, को बोर्ड द्वारा तय सीमा और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के कारोबार कार्यनीति (आस्तियों और देयताओं के लिए) तय करने के लिए एनबीएफसी के बजट और जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों के अनुसार पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

ग) ऑपरेटिंग स्टाफ पर आधारित एएलएम सहायता समूह एल्को के जोखिम प्रोफाइल की रिपोर्टिंग, विश्लेषण और निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा। स्टाफ को तुलन पत्र से संबंधित बाजार की स्थितियों में विभिन्न संभावित परिवर्तनों का प्रभाव दिखाने वाला पूर्वानुमान (सिमुलेशन) तैयार करना चाहिए और एनबीएफसी की आंतरिक सीमा में संभव कार्रवाई की सिफारिश करनी होगी।

6.2 एल्को फैसला लेने वाली इकाई है जो ब्याज दर और चलनिधि जोखिमों के कार्यनीतिक प्रबंधन सहित जोखिम-रिटर्न के नजरिए से बैलेंस शीट योजना बनाने के लिए जिम्मेदार है। प्रत्येक एनबीएफसी यह निर्णय लेगी कि उसकी एल्को की भूमिका और जिम्मेदारी क्या होगी और उसके द्वारा क्या निर्णय लिए जाएंगे। एनबीएफसी के व्यापार और जोखिम प्रबंधन कार्यनीति यह सुनिश्चित करना होगा कि एनबीएफसी, बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा/मानकों के भीतर चल रही है। एल्को अन्य बातों के साथ व्यापार के मुद्दों सहित दोनों जमा और अग्रिम के लिए उत्पाद के मूल्य निर्धारण, वांछित परिपक्वता प्रोफाइल और वृद्धिशील आस्ति और देयताएं दोनों के मिश्रण, इसी तरह की सेवाओं/उत्पाद के लिए अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा की गई पेशकश की प्रचलित दरों, आदि पर विचार करेंगी । एनबीएफसी के जोखिम के स्तर की निगरानी के अलावा, एल्को पिछली बैठकों में किए गए निर्णयों के कार्यान्वयन में प्रगति के परिणामों की समीक्षा करेगी। एल्को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की मौजूदा ब्याज दर भी निर्धारित करेगी और यह भविष्य के कारोबारी कार्यनीति के लिए इसके फैसले का आधार होगा। वित्तपोषण नीति के संबंध में, उदाहरण के लिए, अपनी देयताओं या परिसंपत्तियों की बिक्री के स्रोत और मिश्रण के बारे में फैसला करना होगा। इस दिशा में इसे ब्याज दर मूवमेंट की भविष्य की दिशा और स्थायी बनाम फ्लोटिंग रेट फंड, थोक बनाम खुदरा जमा, मुद्रा बाजार बनाम पूंजी बाजार, घरेलू बनाम विदेशी मुद्रा के वित्त पोषण के मध्य फंड मिश्रण आदि पर एक दृष्टिकोण विकसित करना होगा । प्रत्येक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपनी एल्को बैठकों के आयोजन की बारंबारता के बारे में फैसला करना होगा।

6.3 एल्को की संरचना

एल्को का आकार (सदस्यों की संख्या) प्रत्येक संस्था, कारोबार मिश्रण और संगठनात्मक जटिलता के आकार पर निर्भर करेगा। शीर्ष प्रबंधन की प्रतिबद्धता और बाजार की गतिशीलता के प्रति समय पर प्रतिक्रिया देना सुनिश्चित करने के लिए सीईओ/सीएमडी/अध्यक्ष या निदेशक को समिति का नेतृत्व करेंगे। निवेश, क्रेडिट, संसाधन प्रबंधन या योजना, धन प्रबंधन/कोषागार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक अनुसंधान के प्रमुख समिति के सदस्य हो सकते हैं। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी प्रभाग के प्रमुख को भी एमआईएस और संबंधित कम्प्यूटरीकरण के निर्माण के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। बड़ी एनबीएफसी में उप-समितियां और सहायता समूह भी हो सकते हैं।

6.4 **<u>निदेशक समिति</u>**

बोर्ड की प्रबंधन समिति या बोर्ड द्वारा गठित कोई भी अन्य विशिष्ट समिति प्रणाली के कार्यान्वयन की निगरानी और समय-समय पर उसके कामकाज की समीक्षा करेगी।

6.5 **<u>एएलएम प्रक्रिया:</u>**

एएलएम कार्य के दायरे को निम्नानुसार वर्णित किया जा सकता है:

- चलनिधि जोखिम प्रबंधन
- बाजार जोखिम के प्रबंधन
- अनुदान और पूंजी की योजना
- लाभ योजना और विकास प्रक्षेपण
- 'क्या होगा यदि' परिदृश्य की भविष्यवाणी और विश्लेषण करना और आकस्मिक योजना की तैयारी

इस नोट में दिए गए दिशा-निर्देश मुख्य रूप से चलनिधि और ब्याज दर जोखिम की समस्या को दूर करने के संबंध में हैं।

7. <u>चलनिधि जोखिम प्रबंधन</u>

7.1 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रभावी संचालन के लिए चलनिधि जरूरतों को मापना और प्रबंध महत्वपूर्ण हैं। एनबीएफसी अपनी देयताओं को पूरा करने की क्षमता को सुनिश्चित करके, चलनिधि प्रबंधन की एक प्रतिकूल स्थिति की संभावना को कम कर सकती हैं। चलनिधि का महत्व एक ही संस्था में सीमित नहीं है और चलनिधि की कमी अलग-अलग संस्थाओं की पूरी व्यवस्था पर असर डाल सकती है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रबंधन के लिए एक निरंतर आधार पर न केवल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की चलनिधि का उपाय करना चाहिए, बल्कि यह भी जांच करनी चाहिए कि चलनिधि की आवश्यकताओं की क्या संभावना है। अनुभव बताते हैं कि सामान्यतः, चलनिधि के रूप में मानी जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य मुद्रा बाजार के विलेख भी गैर-चलनिधि बन सकते है जब बाजार और खिलाड़ी दिशाहीन हो जाते हैं। इसलिए, चलनिधि को परिपक्वता या नकदी प्रवाह बेमेल के माध्यम से पता लगाया जाना चाहिए। निवल वित्त-पोषण आवश्यकताओं के मापने और प्रबंध के लिए, एक परिपक्वता सीढ़ी और संचयी अधिशेष या चयनित परिपक्वता तारीखों में धन की कमी को गणना को मानक उपकरण के रूप में अपनाया गया है।

7.2 परिशिष्ट I में दी गई परिपक्वता प्रोफाइल विभिन्न टाइम बकेट में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के भविष्य के नकदी प्रवाह को मापने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। टाइम बकेट, निम्नानुसार विभाजित किया जा सकता है:

i. 1 दिन से 30/31 दिन (एक माह)

ii. एक महीने से अधिक और 2 महीने तक

iii. दो महीने से अधिक और 3 महीने तक

iv. 3 महीनों से अधिक और 6 महीने तक

v. 6 महीने से अधिक और 1 साल तक

vi. 1 वर्ष से अधिक और 3 साल तक

vii. 3 वर्ष से अधिक और 5 साल तक

viii. 5 वर्षों से अधिक

7.3 सार्वजनिक जमा धारक एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईबी की तरल संपत्ति आवश्यकता के संदर्भ में अनुमोदित प्रतिभूतियों में उनके सार्वजनिक जमा राशि का एक निर्धारित प्रतिशत (तिथि के आधार पर 15%) तक का निवेश करना आवश्यक है। अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी (आरएनबीसी) को अपनी जमाराशि का पूर्वोक्त अधिनियम के तहत जारी दिशा-निर्देश में निर्धारित तरीके से 80% तक का निवेश करना आवश्यक हैं। वह एनबीएफसी जो सार्वजनिक जमा धारक नहीं हैं, के लिए इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। आरएनबीसी सहित विभिन्न गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अपने निवेश पोर्टफोलियो में प्रतिभूतियां धारण करती हैं, जिन्हें मोटे तौर पर 'अनिवार्य प्रतिभूतियों' और अन्य 'गैर-अनिवार्य प्रतिभूतियों' (कानून के दायित्व के अधीन) में वर्गीकरण किया जा सकता है। सार्वजनिक जमा धारण न करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मामले में, अधिशेष प्रतिभूतियां (आवश्यकता से अधिक) 'गैर-अनिवार्य प्रतिभूतियों' श्रेणी में आती हैं। सार्वजनिक जमा धारक एनबीएफसी को उनके लिए उपयुक्त किसी भी टाइम बकेट में अनिवार्य प्रतिभूतियां रखने की आजादी दी जा सकती है। सूचीबद्ध गैर अनिवार्य प्रतिभूतियों, को "1 दिन से 30/31 दिनों (एक माह) के लिए, एक महीने से अधिक और 2 महीने, और दो महीनों से अधिक और 3 महीने तक ' बकेट में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तावित उत्सादन अवधि के आधार पर रखा जा सकता है। गैर-सूचीबद्ध गैर अनिवार्य प्रतिभूतियों (जैसे, इक्विटी शेयर, परिपक्वता आदि की एक निश्चित अवधि के बिना प्रतिभूतियों), को "5 वर्षों में 'बकेट में रखा जा सकता है, जबकि परिपक्वता की एक निश्चित अवधि वाली गैर-सूचीबद्ध गैर अनिवार्य प्रतिभूतियों को अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार प्रासंगिक टाइम बकेट में रखा जा सकता है। अनिवार्य प्रतिभूति और सूचीबद्ध प्रतिभूतियों एएलएम प्रणाली के प्रयोजन के लिए बाजार के लिए चिह्नित किया जा सकता है। असूचीबद्ध प्रतिभूतियों को विवेकपूर्ण मानदंड दिशा-निर्देश के अनुसार गणना कर सकते हैं।

7.4 वैकल्पिक रूप से, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनिया व्यापार किताब की अवधारणा का पालन कर सकती हैं, जो इस प्रकार है:

i. रचना और मात्रा को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया हैं;

ii. अधिकतम परिपक्वता/पोर्टफोलियो की अवधि प्रतिबंधित है;

iii. होल्डिंग अवधि 90 दिन से अधिक नहीं;

iv. हानि की निर्धारित सीमा निर्धारित;

v. उत्सादन अवधि (उत्पाद के लिहाज से) अर्थात द्वितीयक बाजार में चलनिधि की स्थिति के आधार पर पोजीशन को परिसमापित करने में लगने वाला समय निर्धारित हैं;

एनबीएफसी जो इस तरह की 'ट्रेडिंग पुस्तकें' रखती हैं और उपरोक्त मानकों का पालन करती हैं, व्यापारिक प्रतिभूतियों को, उत्सादन अवधि के अनुसार "1 दिन से 30/31 दिनों (एक माह), एक महीने से अधिक और 2 महीने तक" और "दो महीनों से अधिक और 3 महीने तक बकेट में दिखा सकती हैं । गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के एल्को/बोर्ड की 'व्यापार किताब' की मात्रा, रचना, धारण/उत्सादन अवधि, निर्धारित अधिकतम हानि को मंजूरी देना चाहिए। विवेकपूर्ण मानदंड के तहत आवश्यक शेष निवेश भी कम अवधि और लंबी अवधि के निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

7.5 एएलएम के प्रयोजन के लिए निवेश पोर्टफोलियो की गणना पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा दर्ज की गई और उनके बोर्ड/एल्को द्वारा अनुमोदित नीति टिप्पणी को भारतीय रिजर्व बैंक के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाना चाहिए जिसके क्षेत्राधिकार में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

7.6 हर बार बकेट के भीतर, नकदी अंतर्वाह और बहिर्वाह के आधार पर बेमेल हो सकता है। जहाँ एक वर्ष तक बेमेल प्रासंगिक होगा, मुख्य ध्यान अल्पकालिक बेमेल पर होना चाहिए अर्थात, 1-30 / 31 दिनों के लिए, यह आसन्न चलनिधि समस्याओं के प्रारंभिक चेतावनी संकेतों को प्रदान करते हैं। हालांकि, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, को बोर्ड/प्रबंधन समिति के अनुमोदन के साथ आंतरिक प्रूडेंशियल सीमा की स्थापना कर उनके संचयी बेमेल (कुल चल रहे) के सभी टाइम बकेट की निगरानी करना चाहिए। बेमेल **(नकारात्मक** जीएपी) सामान्य स्थिति में 1-30 / 31 दिनों की बकेट में नकदी निकासी के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। यदि एनबीएफसी को अपने मौजूदा परिसंपत्ति-देयता प्रोफ़ाइल और परिणामी संरचनात्मक असंतुलन को देखते हुए, अधिक सहनशीलता स्तर की जरूरत है, तो यह अपने बोर्ड/प्रबंधन समिति से इस तरह की उच्च सीमा की आवश्यकता पर विशेष कारण देकर मंजूर उच्च

सीमा के साथ काम कर सकता है। एक उच्च सहिष्णुता स्तर की अनुमति देने के लिए विवेकपूर्ण निर्णय केवल एक अस्थायी अवधि यानी **31 मार्च, 2002** तक के लिए है।

7.7 **संरचनात्मक चलनिधि का विवरण** नकदी प्रवाह की अपेक्षा के समय के अनुसार परिपक्वता सीढ़ी में सभी नकदी अंतर्वाह और बहिर्वाह रखकर तैयार किया जा सकता है। एक परिपक्व देयता एक नकदी बहिर्वाह होगा, जबकि एक परिपक्व परिसंपत्ति एक नकदी अंतर्वाह होगा। संभावित नकदी प्रवाह / निकासी का निर्धारण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां उनकी आस्ति-देयता प्रोफाइल की संभावनाओं के अनुसार करती हैं। सहिष्णुता के स्तर को निर्धारित करते समय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपनी आस्ति-देयता आधार, व्यापार की प्रकृति, भविष्य की कार्यनीति, आदि को आधार बनाना है। भारतीय रिजर्व बैंक की दिलचस्पी यह सुनिश्चित करने में है कि सभी आवश्यक कारकों को ध्यान में रखते हुए सहनशीलता का स्तर बनाए रखा गया है और आगे चलनिधि प्रबंधन में प्राप्त अनुभव के साथ उसे और भी परिष्कृत किया जाता है।

7.8 1 दिन से 6 महीने की अवधि में गतिशील आधार पर अपनी अल्पकालिक चलनिधि की निगरानी करने हेतु गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सक्षम बनाने के लिए, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अपने अल्पकालिक चलनिधि प्रोफाइल का अनुमान कारोबार अनुमानों और योजना बनाने के लिए अन्य प्रतिबद्धताओं के आधार पर कर सकती हैं।

8. <u>मुद्रा जोखिम</u>

अस्थायी विनिमय दर व्यवस्था ने विदेशी आस्ति या देयता होने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की बैलेंस शीट के जोखिम प्रोफाइल में स्पष्ट उतार-चढ़ाव संबंधी एक नया आयाम जोड़ दिया है। डिरेग्युलेशन अपनाने वाली अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी प्रवाह लेनदेन की मात्रा में वृद्धि ने लेनदेन की मात्रा को बढ़ाने में काफी योगदान दिया है। सीमा पार बड़े प्रवाह ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की बैलेंस शीट को विनिमय दर उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बना दिया है।

9. <u>ब्याज दर जोखिम (आईआरआर)</u>

9.1 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को आस्तियों और देयताओं के मूल्य निर्धारण में दिया गया परिचालनगत लचीलापन से आशय है कि वित्तीय प्रणाली ब्याज दर जोखिम को हेज करे। ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो बाजार में ब्याज दरों में परिवर्तन पर एनबीएफसी की वित्तीय स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। ब्याज दरों में परिवर्तन में एनबीएफसी को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। ब्याज दरों में बदलाव का तत्काल प्रभाव शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) पर पड़कर एनबीएफसी की कमाई (यानी सूचित मुनाफा) पर होता है। बदलती ब्याज दरों के एक दीर्घकालिक प्रभाव गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की इक्विटी के बाजार मूल्य (MVE) या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की निवल

मालियत यानि संपत्ति, देनदारियों का आर्थिक मूल्य पर पड़ता है और तुलनपत्र से इतर मदें बाजार में ब्याज दरों में बदलाव की वजह से प्रभावित हो जाती हैं। जब इन दोनों के दृष्टिकोण से ब्याज दर जोखिम देखा जाता है तो क्रमशः 'कमाई परिप्रेक्ष्य' और 'आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य' में जाना जाता है। कमाई के परिपेक्ष्य से जोखिम को शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) या शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में परिवर्तन के रूप में मापा जा सकता है। ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए कई माप और विश्लेषणात्मक तकनीक हैं। शुरू करने के लिए, परंपरागत अंतर विश्लेषण ब्याज दर जोखिम को मापने के एक उपयुक्त विधि है। भारतीय रिजर्व बैंक का यह इरादा है कि ब्याज दर माप की आधुनिक तकनीकों अवधि गैप विश्लेषण, सिमुलेशन और समय के साथ जोखिम पर मूल्य की ओर बढ़ा जाए जब गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एमआईएस अधिग्रहण और हैंडलिंग में पर्याप्त विशेषज्ञता और परिष्कार हासिल कर लें।

9.2 नियत तिथि पर गैप या बेमेल जोखिम अलग समय अंतराल पर अंतराल की गणना के द्वारा मापा जा सकता है। गैप विश्लेषण दर संवेदनशील देयताएं और दर संवेदनशील परिसंपत्तियों (तुलनपत्र से इतर पदों सहित) के बीच बेमेल को नापता है। एक परिसंपत्ति या देयताओं को सामान्य रूप से दर संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि:

i. विचाराधीन समय अंतराल के भीतर, वहाँ नकदी प्रवाह है;

ii. अंतराल के दौरान अनुबंधात्मक ब्याज दर रिसेट / रीप्राइज किया हो;

iii. रिजर्व बैंक की ब्याज दरों / बैंक दर में परिवर्तन पर निर्भर हो ;

iv. कथित परिपक्वताओं से पहले अनुबंधात्मकता पूर्व देय या निकासी ।

9.3 गैप रिपोर्ट अवशिष्ट परिपक्वता या अगले रीप्राइजिंग अवधि, जो भी पहले हो, के अनुसार टाइम बकेट में दर संवेदनशील देयताएं, आस्तियां और तुलनपत्र से इतर मदों के समूहीकरण के द्वारा उत्पन्न किया जाना चाहिए।गैप विश्लेषण में मुश्किल काम दर संवेदनशीलता का निर्धारण किया जाना है। सभी निवेश, अग्रिम, जमा, उधार खरीदा फंड, आदि जो एक निर्धारित समय सीमा के भीतर परिपक्व /रीप्राइज है, ब्याज दर के प्रति संवेदनशील हैं। इसी तरह, ऋण की किसी भी प्रिंसिपल चुकौती की दर संवेदनशील है यदि एनबीएफसी समय क्षितिज के भीतर इसे प्राप्त करने की उम्मीद रखती है। इसमे अंतिम मूलधन के भुगतान और अंतरिम किश्तें भी शामिल है। कुछ आस्ति और देयताएं/वेतन दर जो संदर्भ दर के साथ बदलती हैं। ये आस्ति और देयताएं पूर्व निर्धारित अंतराल पर रीप्राइज की जाती है और दर रीप्राइजिंग के समय संवेदनशील हैं। जहां कि सावधि जमा पर ब्याज दर अपनी अवधि के दौरान स्थायी रहती हैं, अग्रिम सामान्यतया फ्लोटिंग होता है। प्राप्त अग्रिमों पर ब्याज दरों को पीएलआर के बदलावों के अनुसार कितनी भी बार रीप्राइज किया जा सकता है।

अंतराल को निम्नांकित टाइम बकेट में पहचाना जा सकता है:

i. 1-30 / 31 दिन (एक माह)

ii. एक महीने से अधिक से 2 महीने

iii. दो महीने से अधिक से 3 महीने

iv. 3 महीने से अधिक से 6 महीने

v. 6 महीने से अधिक से 1 वर्ष

vi. 1 वर्ष से 3 वर्ष

vii. 3 साल से अधिक से 5 साल

viii. 5 वर्षों में

ix. गैर संवेदनशील

दर संवेदनशील आस्ति और देयताएं और तुलनपत्र से इतर वस्तुओं की विभिन्न मदों को परिशिष्ट-II के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है।

9.4 गैप हर टाइम बकेट के लिए दर संवेदनशील आस्तियां (आरएसए) और दर संवेदनशील देयताएं (आरएसएल) के बीच का अंतर है। सकारात्मक गैप इंगित करता है यह आरएसएल की तुलना में आरएसए अधिक है जबकि नकारात्मक गैप इंगित करता है, आरएलए की तुलना में आरएसए अधिक है। गैप रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि क्या संस्था सकारात्मक गैप (आरएसए> आरएसएल) होने से बढ़ती ब्याज दरों से लाभ प्राप्त कर सकती है या क्या यह एक नकारात्मक अंतर (आरएसएल> आरएसए) गैप से गिरावट आ रही ब्याज दरों से लाभ प्राप्त कर सकती है। इसलिए गेप को ब्याज दर संवेदनशीलता को नापने के एक उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

9.5 प्रत्येक एनबीएफसी को बोर्ड/प्रबंधन समिति के अनुमोदन के साथ अलग-अलग अंतराल पर विवेकपूर्ण सीमा तय करनी चाहिए। प्रूडेंशियल सीमा को कुल संपत्ति, कमाऊ संपत्ति या इक्विटी के साथ एक रिश्ता होना चाहिए । एनबीएफसी कमाई पर जोखिम (ईएआर) या शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) ब्याज दर उनके विचारों के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं और बोर्ड/प्रबंधन समिति के अनुमोदन के साथ एक विवेकपूर्ण स्तर निर्धारित कर सकते हैं। ईएआर या एनआईएम पता लगाने के लिए कोई भी वर्तमान मॉडल इस्तेमाल किया जा सकता है।

9.6 आरबीआई, आने वाले समय में बाजार जोखिम के लिए पूंजी पर्याप्तता को प्रारम्भ करने का इरादा रखता है।

10. **<u>सामान्य</u>**

10.1 गैप रिपोर्ट (चलनिधि और ब्याज दर संवेदनशीलता) की तैयारी के लिए अलग-अलग टाइम बकेट में आस्ति और देयताएं के विभिन्न घटकों के वर्गीकरण जो परिशिष्ट I और II में दिए है, बेंचमार्क है। एनबीएफसी जो पिछले आंकड़ों/अनुभवजन्य अध्ययनों के आधार पर आस्ति और देयताएं के विभिन्न घटकों के व्यवहार पैटर्न का बेहतर अनुमान लगाने हेतु लैस हैं, एल्को/बोर्ड से अनुमोदन के अधीन उन्हें उचित टाइम बकेट में वर्गीकृत किया जा सकता है । एल्को / बोर्ड द्वारा स्वीकृत नोट की एक प्रति गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, का क्षेत्रीय कार्यालय जिसके अधिकार क्षेत्र में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, को भेजा जा सकता है। इन नोटों में 'क्या होगा अगर' विभिन्न संभावित शर्तों के तहत विश्लेषण हो सकता है और विभिन्न प्रतिकूल घटनाक्रमों का सामना करने के लिए आकस्मिकता योजना दी जा सकती है।

10.2 वर्तमान ढांचा एनबीएफसी की चलनिधि और ब्याज दर जोखिम प्रोफाइल पर जमा राशि का समय से पहले बंद होना और ऋण और अग्रिम के पूर्व भुगतान के प्रभाव को शामिल नहीं करता है। बाजार में ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के समय जमा की समयपूर्व निकासी की भयावहता काफी महत्वपूर्ण है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को इसलिए उपयुक्त तंत्र विकसित करना चाहिए जो अनुभवजन्य अध्ययन और व्यवहार विश्लेषण के द्वारा भविष्य के बाजार चर में आस्तियों, देयताओं और तुलन पत्र के बाहर की मदों में परिवर्तन और विकल्प की संभावनाओं का अनुमान लगा सके।

10.3 एक वैज्ञानिक रूप से विकसित आंतरिक ट्रांसफर प्राइसिंग मॉडल, जो वर्तमान बाजार दर के आधार पर उपलब्ध कराई गई निधियों और धनराशि का मूल्यांकन कर सकें, एएलएम प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। हस्तांतरण मूल्य प्रणाली मार्जिन प्रबंधन यानी उधार या क्रेडिट प्रसार, धन या दायित्व प्रसार और बेमेल प्रसार के प्रबंधन को बेहतर कर सकते हैं। यह ब्याज दर जोखिम को केन्द्रित करने में मदद करता है, जिससे ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन और प्रभावी नियंत्रण में सुविधा होती है। अच्छी तरह से परिभाषित हस्तांतरण मूल्य निर्धारण प्रणाली आस्ति और देयताएं का मूल्य निर्धारण करने के लिए भी एक तर्कसंगत रूपरेखा प्रदान करती है।

परिशिष्ट - I

परिपक्वता प्रोफाइल - चलनिधि

लेखा शीर्ष	**टाइम बकेट श्रेणी**
ए प्रवाह	
1. पूंजी कोष	
क) इक्विटी पूंजी, गैर प्रतिदेय या सदा वरीयता पूंजी, भंडार, धन और अधिशेष	5 वर्षों से अधिक टाइम बकेट में।
बी) वरियता पूंजी - प्रतिदेय / गैर-मियादी	शेयरों की अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार।
2 उपहार, अनुदान, दान और उपकार	'5 वर्षों से अधिक टाइम-बकेट । हालांकि, इस तरह के तोहफे, अनुदान, आदि विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए है, तो इन्हे उद्देश्य / विशिष्ट अंतिम उपयोग के अनुसार निर्दिष्ट टाइम-बकेट में रखा जा सकता है।
3. नोट्स, बॉण्ड और डिबेंचर	
ए) प्लेन वनीला बॉण्ड / डिबेंचर	विलेखों की अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार
बी) बॉण्ड/ निहित काल/पुट विकल्प के साथ डिबेंचर (शून्य कूपन / गहरी डिस्काउंट बॉण्ड सहित)	निहित विकल्प के लिए जल्द से जल्द उपयोग की जाने वाली तारीख के लिए अवशिष्ट अवधि के अनुसार।
सी) निश्चित दर नोट	अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार
4. जमा:	

ए) जनता से सावधि जमा	अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार।
बी) इंटर कॉर्पोरेट जमा	संस्थागत / थोक जमा होने से उनके अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार रखा जाना चाहिए
सी) जमा प्रमाणपत्र	अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार।
5. उधार	
ए) सावधि मनी उधारी	अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार
बी) भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार और अन्य से	-वही-
सी) डबल्यूसीडीएल सीसी आदि की प्रकृति में बैंक उधारी	छह महीने से अधिक और एक साल तक
6) मौजूदा देनदारिया और प्रावधान:	
ए) विविध लेनदार	नियत तारीख या नकद निकासी की संभावित समय के अनुसार। निकासी की प्रवृत्ति और मात्रा का व्यवहार विश्लेषण का हिसाब भी आकलन करने के लिए रखा जा सकता है।
बी) देय व्यय (ब्याज के अलावा अन्य)	नकदी बहिर्वाह की संभावना के अनुसार।
सी) प्राप्त अग्रिम आय, उधारकर्ताओं की प्राप्तियाँ समायोजन हेतु लंबित	'5 वर्ष से अधिक' टाइम-बकेट में, इसमे कोई भी नकद बहिर्वाह शामिल नहीं है।
डी) बॉण्ड / जमा पर देय ब्याज	भुगतान की नियत तारीख के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में।
ई) एनपीए के लिए प्रावधान	प्रावधान की राशि एनपीए पोर्टफोलियो की सकल राशि से बाहर

	निकालकर और एनपीए की शुद्ध राशि को निर्धारित टाइम-बकेट में पूंजी प्रवाह के तहत एक मद के रूप में दिखाया जा सकता है।
एफ़) निवेश पोर्टफोलियो के लिए प्रावधान	राशि को निवेश पोर्टफोलियो का सकल मूल्य से घटाया जा सकता है और शुद्ध निवेश को निर्धारित समय स्लॉट में प्रवाह के रूप में दिखाया जा सकता है। यदि प्रावधानों को प्रतिभूतिवार नहीं धारित किया गया है तो प्रावधान को "5 साल के ऊपर" टाइम बकेट में दिखाया जा सकता है।
जी) अन्य प्रावधान	अंतर्निहित लेनदेन के उद्देश्य / प्रकृति के अनुसार बकेट किया जाना है।
बी अंतर्वाह	
1. रोकड़	1 से 30/31-दिन की टाइम बकेट में।
2. पारगमन में विप्रेषण	---वही---
3. बैंकों के पास बकाया (भारत में केवल)	
ए) चालू खाता	निर्धारित न्यूनतम शेष लिए 6 महीने से 1 साल के बकेट में दिखाया जाना है। न्यूनतम शेष राशि से अधिक शेष 1 से 30 दिन की टाइम बकेट में दिखाया जाना है।
बी) जमा खाते / लघु अवधि की जमा	अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार।
4. निवेश (शुद्ध प्रावधान)	
ए) अनिवार्य निवेश	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए उपयुक्त

बी) गैर अनिवार्य सूचीबद्ध	"1 दिन से 30/31 दिनों (एक माह)" "एक महीने से अधिक और 2 महीने" और "दो महीनों से अधिक और 3 महीने तक" बकेट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तावित रद्द करने की अवधि के आधार पर
सी) गैर अनिवार्य गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों (जैसे शेयर, आदि)	"5 साल के अधिक"
डी) निश्चित परिपक्वता अवधि वाली गैर-अनिवार्य गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतिया	अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार
ई) वेंचर कैपिटल इकाई	'5 वर्ष से अधिक' टाइम बकेट में।
5. ट्रेडिंग पुस्तक का पालन करने पर	
इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय तरजीही शेयर, गैर प्रतिदेय / सदा तरजीही शेयर, सहायक / संयुक्त उद्यम के शेयर और ओपन एंडेड म्युचुअल फंड और अन्य निवेश ।	(I) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के व्यापार पुस्तक का प्रतिनिधित्व करने वाले "वर्तमान" के रूप में वर्गीकृत शेयरों को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रस्तावित रद्द करने की अवधि के आधार पर एक महीने से अधिक का "1 दिन से 30 दिन (एक माह)" “एक माह से अधिक और 2 महीने तक” और दो महीने से अधिक और 3 महीने” की टाइम बकेट में दिखाया जा सकता है।
	(ii) "दीर्घ अवधि के निवेश" के रूप में वर्गीकृत शेयरों को "5 साल के समय” बकेट में रखा जा सकता है। हालांकि, शुरुआती वित्तीय पैकेज के प्राप्त सहायता के हिस्से के रूप में वर्गीकृत सहायक इकाइयों/ कंपनियों के शेयरों को परियोजना के कार्यान्वयन / समय अधिवहित और ऐसे शेयरों के डाइवर्जन से विनिवेश के लिए परिणामी संभावित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए संबंध टाइम बकेट में रखा जा सकता है ।

6. अग्रिम (उत्पादक)	
ए) बिल ऑफ एक्सचेंज और रियायती और पुनर्भुनाई वचन नोट	अंतर्निहित बिल के अवशिष्ट मुद्दत के अनुसार।
बी) सावधि कर्ज (केवल रुपया ऋण)	मूल/ संशोधित चुकौती अनुसूची में निर्धारित नकदी प्रवाह के समय के अनुसार निर्धारित ब्याज और ऋण की मूल के खाते पर संबंधित टाइम बकेट में रखा जा सकता है।
सी) कॉर्पोरेट ऋण / अल्पावधि ऋण	अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार
7. ग़ैर-निष्पादक ऋण (प्रावधानों को नेट कर दिखाया जा सकता है, इंटरेस्ट सस्पेंस धारित)	
ए) उप-मानक	
i) अगले तीन वर्षों के दौरान सभी अतिदेय और मूलधन की किस्त	3 से 5 साल की टाइम-बकेट में।
ii) अगले तीन वर्षों में देय पूरी मूल राशि	5 साल के समय में बकेट
<u>बी) संदिग्ध और हानि</u>	
i) अगले पांच वर्षों के दौरान देय मूलधन की सभी किश्त और सभी अतिदेय	5 वर्ष से अधिक टाइम-बकेट में
ii) अगले पांच साल से परे देय पूरी मूल राशि	5 वर्ष से अधिक टाइम-बकेट में

8. लीज़ पर संपत्ति	पट्टा लेनदेन से नकदी प्रवाह को नकदी प्रवाह के समय के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में रखा जा सकता है।
9. अचल संपत्ति (पट्टे की संपत्ति को छोड़कर)	'5 वर्ष से अधिक' टाइम-बकेट में।
10. अन्य संपत्तियां	
(ए) अमूर्त आस्तियों और नकदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व नहीं करने वाली मदें	'5 वर्ष से अधिक' टाइम-बकेट में।
(बी) अन्य मद (जैसे अर्जित आय, अन्य प्राप्तियां, स्टाफ ऋण, आदि)	नकदी प्रवाह के समय के अनुसार संबंधित परिपक्वता बकेट में।
सी. आकस्मिक देयताएं	
(ए) क्रेडिट के पत्र / गारंटीया (अवक्रमण के माध्यम से बहिर्वाह)	अवक्रमण तुलना पिछले प्रवृत्ति विश्लेषण पर गारंटी की बकाया राशि (आयोजित मार्जिन को घटाकर) पर आधारित है, संभावना अवक्रमण का अनुमान लगाया जाना चाहिए और इस राशि को अनुमान आधार पर विभिन्न टाइम बकेट में वितरित किया जा सकता है। अवक्रमण से बाहर बनाई परिसंपत्तियों को संभावित वसूली तारीखों के आधार पर संबंधित परिपक्वता बकेट में दिखाया जा सकता है।
(बी) लंबित संवितरण (बहिर्वाह)ऋण प्रतिबद्धताए	मंजूर संवितरण के कार्यक्रम के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में।
(सी) अन्य संस्थानों (बहिर्वाह / अंतरवाह) को/से प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइन	क्रेडिट लाइन के तहत प्राप्त बिल के मुद्दत के अनुसार

ध्यान दें:

ए. कोई भी घटना विशेष नकदी प्रवाह (जैसे वेतन समझौता बकाया, पूंजी व्यय, आयकर रिफंड आदि के कारण बहिर्वाह) इस तरह के नकदी प्रवाह के समय के लिए टाइम बकेट में दिखाया जाना चाहिए।

बी. सभी अतिदेय देनदारियों को 1 से 30/31 दिन के टाइम बकेट में दिखाया जाना।

सी. ब्याज और मानक ऋणों की किस्तों / किराए खरीद की संपत्ति / पट्टे किराया के खाते पर अतिदेय प्राप्तियों को निम्नानुसार रखा जाना चाहिए:

(i)	कम से कम एक महीने के लिए अतिदेय।	3 से 6 महीने बकेट में।
(ii)	ब्याज कम से कम एक महीने से ज्यादा अतिदेय है, लेकिन सात महीनों से कम के लिए अतिदेय (यानी संबन्धित राशि छह महीने से पुरानी हो जाता है)	एक महीने की रियायती अवधि गणना किए बिना 6 से 12 महीने बकेट में।
(iii)	मूलधन और किश्त 7 महीनों से अतिदेय लेकिन कम से कम एक वर्ष के लिए अतिदेय	1 से 3 साल बकेट में।

डी. अंतराल का वित्तपोषण:

1 से 30/31 दिन के टाइम-बकेट में नकारात्मक अंतर (यानी जहां निकासी आवक से अधिक हो) हर टाइम बकेट में 15% की विवेकपूर्ण सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए और एक वर्ष की अवधि तक संचयी अंतर संचयी नकद निकासी का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए । यदि अवधि इन सीमाओं को पार करती हैं, सीमा के भीतर अंतराल लाने के लिए प्रस्तावित उपायों को विवरण के फुटनोट से दिखाया जाना चाहिए।

परिशिष्ट II

ब्याज दर संवेदनशीलता

खाता शीर्ष	टाइम बकेट की दर संवेदनशीलता
दायित्व	
1. पूंजी, भंडार और अधिशेष	गैर संवेदनशील
2. उपहार, अनुदान व उपकार	-वही-
3. नोट्स, बॉण्ड और डिबेंचर:	
ए) फ्लोटिंग दर	संवेदनशील; रोल ओवर / रीप्राइज करने की तारीख को रीप्राइज तिथियों के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में रखा जाना चाहिए।
बी) फिक्स्ड दर (वनीला) शून्य कूपन सहित	संवेदनशील; परिपक्वता पर रीप्राइज। अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में रखा जाएगा।
सी) एम्बेडेड विकल्पों के साथ संलेख	संवेदनशील; बढ़ते ब्याज के परिदृश्य में रीप्राइज करने की विकल्प की तिथियों के अनुसार रीप्राइज किया जा सकता है। अगली विकल्प तिथि के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में रखा जाना चाहिए।
4. जमा	
ए) जमा / उधार	
i) स्थायी दर	संवेदनशील; लॉक-इन अवधि के बाद, यदि कोई हो, परिपक्वता पर या समय से पहले वापसी के मामले में

	रीप्राइज़ कर सकता है। अवशिष्ट परिपक्वता या अवशिष्ट लॉक-इन अवधि, जैसा भी मामला हो, के अनुसार के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में रखा जा सकता है। बिना लॉक-इन अवधि या अतीत के लॉक-इन अवधि वाले समय से पहले निकले जमा को शीघ्रतम/लघु टाइम बकेट में रखा जाना चाहिए।
ii) फ्लोटिंग दर	संवेदनशील; संविदात्मक रोल-ओवर की तारीख पर रीप्राइज़। अगले रीप्राइजिंग तिथि के अनुसार संबंधित टाइम-बकेट में रखा जाना है।
बी) आईसीडी	संवेदनशील; परिपक्वता पर रीप्राइज। अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में रखा जाना है।
5. उधार:	
ए) अवधि-धन उधार	संवेदनशील; परिपक्वता पर रीप्राइज। अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार संबंधित टाइम बकेट में रखा जाना है।
बी) दूसरों से उधार	
i) स्थायी दर	संवेदनशील; परिपक्वता पर रीप्राइज ।संबन्धित टाइम बकेट में अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार रखा जाएगा।
ii) फ्लोटिंग दर	संवेदनशील; संविदात्मक रोल-ओवर की तारीख पर रीप्राइज़ ।अगले रीप्राइजिंग तिथि के अनुसार संबंधित टाइम-बकेट में रखा जाना है।
6. मौजूदा देनदारिया और प्रावधान	
a. विविध लेनदार	)

b. देय व्यय c. स्वैप समायोजन खाता d. लंबित ऋण लेने वालों से अग्रिम आय समायोजन प्राप्तिया /प्राप्त e. बांड / जमा पर देय ब्याज f. प्रावधान	))) गैर संवेदनशील))
7. रेपो / पुनभुनाई बिल / विदेशी मुद्रा स्वैप (बिक्री / खरीद)	संवेदनशील; संविदात्मक रोल-ओवर की तारीख पर रीप्राइज़ । अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार संबंधित टाइम-बकेट में रखा जाना है।
<u>संपत्ति:</u>	
1. रोकड़	गैर संवेदनशील।
2. पारगमन में विप्रेषण	गैर संवेदनशील।
3. भारत में बैंकों के पास बकाया	
ए) चालू खाते में।	गैर संवेदनशील।
बी) जमा खातों, कॉल और अल्प सूचना पर धन और अन्य प्लेसमेंट	संवेदनशील; परिपक्वता पर रीप्राइज। संबन्धित टाइम बकेट में अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार रखा जाएगा।
4. <u>निवेश</u>	
ए) स्थायी आय प्रतिभूतियों (जैसे सरकार, प्रतिभूतियों, जीरो कूपन बॉण्ड, बॉण्ड, डिबेंचर, संचयी, गैर संचयी, प्रतिदेय तरजीही	परिपक्वता पर संवेदनशील। अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार रखा जाना है। हालांकि, ब्याज की गैर सर्विसिंग के कारण एनपीए मानदंडों

शेयर, आदि)	को लागू कर मूल्यांकित बॉण्ड / डिबेंचर प्रावधान घटकर दिखाया जाना चाहिए। i. 3-5 वर्ष बकेट - अगर अवमानक मानदंड लागू । ii. 5 वर्ष से अधिक बकेट - अगर संदिग्ध मानदंड लागू ।
बी) फ्लोटिंग दर की प्रतिभूतिया	परिपक्वता पर संवेदनशील। अवशिष्ट बिलों के मुद्दत के अनुसार रखा जाना है।
सी) इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय तरजीही शेयर, सहायक / संयुक्त उद्यम के शेयर, उद्यम पूंजी इकाइया	गैर संवेदनशील।
5. अग्रिम (निष्पादक)	
ए) विनिमय बिल, रियायती और पुनभुनाई वचनपत्र	परिपक्वता पर संवेदनशील। अंतर्निहित बिल के अवशिष्ट मुद्दत के अनुसार रखा जाना है।
बी) सावधि ऋण / कॉर्पोरेट ऋण / अल्पावधि ऋण (केवल रुपया ऋण)	
i) स्थायी दर	नकदी प्रवाह / परिपक्वता पर संवेदनशील।
ii) फ्लोटिंग दर	संवेदनशील केवल जब पीएलआर या जोखिम प्रीमियम गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बदल दी गई है। बाजार ब्याज दर के अनुरूपों अपने पीएलआर को बदलने के लिए एनबीएफ़सी द्वारा लिए गए समय सावधि ऋण की राशि को टाइम बकेट में रखा जाना चाहिए।
6. ग़ैर - निष्पादक ऋण:	

(प्रावधान, इंटरेस्ट सस्पेंस और ईसीजीसी से प्राप्त दावे)	
a. उप-मानक b. संदिग्ध और हानि	परिशिष्ट I के मद बी 7 के अनुसार रखा जाए
7. लीज़ पर संपत्ति	पट्टे की संपत्ति पर नकदी प्रवाह ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हैं। किराए पर संपत्ति नकदी प्रवाह नकदी प्रवाह के समय के अनुसार टाइम-बकेट में रखा जा सकता है।
8. अचल संपत्ति (लीज पर परिसंपत्तियों को छोड़कर)	गैर संवेदनशील।
9. अन्य संपत्तियां	
ए) अमूर्त संपत्ति और नकदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व नहीं करने वाली मदें	गैर संवेदनशील।
बी) अन्य मद (जैसे अर्जित आय, अन्य प्राप्तियां, स्टाफ ऋण, आदि)	गैर संवेदनशील।
10. रिवर्स रेपो / स्वैप (खरीद / बिक्री) और पुनर्भुनाई बिल (डीयूपीएन)	परिपक्वता पर संवेदनशील। अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार रखा जाना है।
11. अन्य (ब्याज दर) उत्पाद	
ए) ब्याज दर स्वैप	संवेदनशील; संबंधित टाइम बकेट में अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार रखा जा सकता है।
बी) अन्य डेरिवेटिव	जब भी प्रारम्भ हो उचित रूप से वर्गीकृत किया जाएँ ।

अनुबंध II

<u>बीमा में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रवेश के लिए दिशानिर्देश</u>

1. बैंक के पास पंजीकृत एनबीएफसी निम्नलिखित शर्तों के अधीन बैंक के अनुमोदन के बिना, शुल्क के आधार पर और जोखिम भागीदारी के बिना बीमा एजेंसी कारोबार शुरू करने के लिए अनुमति दी जाएगी:

(i) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को आईआरडीए से अपेक्षित अनुमति प्राप्त कर और बीमा कंपनियों के साथ `समग्र कॉर्पोरेट एजेंट' के रूप में कार्य के लिए आईआरडीए के नियमों का पालन करना चाहिए।

(ii) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए अपने ग्राहकों एनबीएफसी द्वारा वित्त पोषण परिसंपत्तियों के संबंध में एक विशेष बीमा कंपनी में जाने के लिए मजबूर करने वाली किसी भी प्रतिबंधात्मक गतिविधि को नहीं अपनाना चाहिए। ग्राहकों को अपनी पसंद के अनुसार चुनाव करने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए।

(iii) चूंकि बीमा उत्पादों में एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के ग्राहक की भागीदारी पूरी तरह से स्वैच्छिक आधार पर है, अतः इसे प्रचार के लिए एनबीएफसी द्वारा वितरित सामग्री में उल्लेख किया जाना चाहिए। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों लिए के वित्तीय सेवाओं और बीमा उत्पादों का उपयोग करने के बीच या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए।

(iv) प्रीमियम का भुगतान गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के माध्यम न होकर बीमा कंपनी को सीधे बीमा धारक द्वारा किया जाना चाहिए।

(v) बीमा एजेंसी में यदि कोई जोखिम शामिल है तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के व्यापार को हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिए।

2. किसी भी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को ऐसा कारोबार विभागीय तौर पर करने की अनुमति नहीं होगी। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की सहायक या उसी ग्रुप की कंपनी या किसी अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के कारोबार में लगी है या बैंकिंग कारोबार में लगी है को समान्यत: जोखिम सहभागिता के आधार पर बीमा कंपनी के साथ जुड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत, पात्रता मानदण्ड पूरे करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जोखिम सहित बीमा कारोबार करने के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी स्थापित कर सकती हैं बशर्ते सुरक्षा उपायों के तहत ऐसा किया जाए। ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सामान्यत: बीमा कंपनी की प्रदत्त पूंजी के अधिकतम 50% तक संयुक्त उद्यम कंपनी की ईक्विटी को धारण (होल्ड) सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक, चयनित आधार पर, प्रारंभ में किसी प्रवर्तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को, ईक्विटी में अंशदान

विनिर्दिष्ट अवधि में पूरा होने तक की अवधि के लिए, उच्च अंशदान की अनुमति दे सकता है। (नोट 1 देखे)

यदि एक ही समूह की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की एक से अधिक कंपनी (वित्तीय गतिविधि करती हो या नहीं) यदि बीमा कंपनी में हिस्सेदारी (स्टेक) लेना चाहती है तो एक ही समूह की सभी कंपनियों के योगदान को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए बीमा संयुक्त उपक्रम में 50 प्रतिशत की निर्धारित सीमा हेतु गिना जाएगा।

ऐसे मामलो में जहां आईआरडीए द्वारा संयुक्त बीमा उपक्रम कंपनी से पूंजी का अंत:प्रवाह के लिए कहा गया हो, ऐसी स्थिति में बैंक मामले दर मामले के आधार पर विनिर्दिष्ट 50% की सीमा में छूट पर विचार कर सकता है। छूट की अनुमति, यदि दी जाती है तो, यह इन दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट सभी विनियमाक शर्तों का एनबीएफसी द्वारा पालन के अधीन होगा तथा विशिष्ट मामलों में ऐसे अन्य शर्तों का अनुपालन भी करना होगा। ऐसे छूट के लिए एनबीएफसी संबंधित दस्तावेज सहित अपना आवेदन उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करे जिसके क्षेत्राधिकार में उसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

संयुक्त उद्यम भागीदार के लिए पात्रता मानदंड नीचे दिया गया है:

(i) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के स्वामित्व वाली निधि ₹ 500 करोड़ रुपये से कम नहीं होना चाहिए,

(ii) ऋण और निवेश गतिविधियों में संलग्न सार्वजनिक जमा धारक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का सीआरएआर 15% से कम नहीं होना चाहिए और अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए 12% से कम नहीं होना चाहिए चाहे सार्वजनिक जमा हो या नहीं।

(iii) शुद्ध गैर निष्पादित आस्तियों का स्तर कुल बकाया पट्टे / किराया खरीद की संपत्ति और एक साथ लिया अग्रिमों के 5% से अनधिक होना चाहिए,

(iv) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पिछले लगातार तीन साल के लिए शुद्ध लाभ होना चाहिए,

(v) संबंधित एनबीएफसी के सहायक कंपनियों के प्रदर्शन का ट्रैक रिकॉर्ड, यदि कोई हो, संतोषजनक होना चाहिए,

(vi) विनियामक अनुपालन और सार्वजनिक जमा सर्विसिंग, अगर हो, किया जाना चाहिए।

इस तरह के निवेश के लिए एनबीएफसी की निवल स्वाधिकृत निधियों की गणना करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जाएगा ।

4. ऐसे मामले में जहां एक विदेशी भागीदार को बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अनुमोदन / विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के अनुमोदन से इक्विटी का 26 प्रतिशत अंशदान करता है तो एक से अधिक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को बीमा संयुक्त उद्यम की इक्विटी में भाग लेने के लिए अनुमति दी जा सकती। ऐसे प्रतिभागियों को भी बीमा जोखिम ग्रहण करना होगा । केवल वह एनबीएफसी जो ऊपर पैरा 2 में दिए मानदंडों को पूरा करगी, पात्र होगी।

5. भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो ऊपरोक्त प्रकार के संयुक्त उद्यम भागीदार के रूप में पात्र नहीं हैं, वे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बीमा कंपनी में स्वामित्व वाली निधि का 10% या ₹ 50 करोड़, जो भी कम हो तक निवेश कर सकते हैं। इस तरह की भागीदारी एक निवेश के रूप में माना जाएगा और एनबीएफसी के लिए किसी भी आकस्मिक देयता के बिना होना चाहिए। इन एनबीएफसी के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार होगा:

(i) एनबीएफसी का सीआरएआर (केवल उन पर लागू जो सार्वजनिक जमा धारण करती है) 12 फीसदी कम नहीं होना चाहिए यदि उपकरण पट्टे / किराया खरीद वित्त गतिविधियों में लगी है और 15 फीसदी यदि एक ऋण या निवेश कंपनी है,

(ii) शुद्ध एनपीए का स्तर कुल बकाया पट्टे / किराया खरीद की संपत्ति और अग्रिमों के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए;

(iii) एनबीएफसी का पिछले लगातार तीन साल के लिए शुद्ध लाभ होना चाहिए।

<u>टिप्पणियाँ :</u>

(1) एक प्रमोटर एनबीएफसी द्वारा बीमा कारोबार में इक्विटी की होल्डिंग या किसी भी रूप में एक बीमा कंपनी में भागीदारी किसी भी नियम और आईआरडीए / केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुपालन के अधीन किया जाएगा। इसमे निर्धारित अवधि के भीतर 26 चुकता पूंजी के प्रतिशत से अधिक इक्विटी के विनिवेश के लिए आईआरडीए अधिनियम, 1999 द्वारा यथा संशोधित बीमा अधिनियम की धारा 6AA के साथ अनुपालन शामिल होंगे।

(2) पात्रता मानदंड पिछले वर्ष के लिए नवीनतम उपलब्ध ऑडिटेड बैलेंस शीट के संदर्भ में गिनी जाएगी।

अनुबंध III

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा म्युचुअल फंड उत्पादों के वितरण पर दिशा-निर्देश

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनिया, जिन्हें म्यूचुअल फंडों को वितरित करने की इच्छा है, निम्न शर्तों का पालन करने की आवश्यकता होगी:

(i) संचालन पहलु

(क) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सेबी के दिशानिर्देशों / नियमों और म्यूचुअल फंड उत्पादों के वितरण के लिए का आचरण के अपने कोड का पालन करना चाहिए

(ख) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपने ग्राहकों को इसके द्वारा प्रायोजित एक विशेष म्यूचुअल फंड उत्पाद लेने के लिए मजबूर कर किसी भी प्रतिबंधात्मक अभ्यास को नहीं अपनाना चाहिए।अपने ग्राहकों को अपनी पसंद के अनुसार चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए;

(ग) म्यूचुअल फंड उत्पादों में एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के ग्राहक की भागीदारी पूरी तरह से स्वैच्छिक आधार पर है, अतः इसे प्रचार के लिए एनबीएफसी द्वारा वितरित सामग्री में उल्लेख किया जाना चाहिए। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों लिए के म्यूचुअल फंड उत्पादों का उपयोग करने के बीच या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए।

(घ) एनबीएफसी केवल अपने ग्राहकों के लिए, म्यूचुअल फंड यूनिटों की खरीद / बिक्री के भुगतान उपकरणों के साथ उनके आवेदन पत्र अग्रेषण, म्यूचुअल फंड / रजिस्ट्रार / स्थानांतरण एजेंटों के लिए एक एजेंट के रूप में कार्य करना चाहिए ।इकाइयों की खरीद के लिए ग्राहकों की जोखिम पर और एनबीएफसी द्वारा किसी भी निश्चित रिटर्न की गारंटी के बिना होना चाहिए;

(ई) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी न तो अपने ग्राहकों को बिक्री के लिए द्वितीयक बाजार से म्यूचुअल फंडों की इकाइयों का अधिग्रहण करना चाहिए, और न ही इसे वापस अपने ग्राहकों से म्युचुअल फंड की यूनिट खरीदने चाहिए;

(च) यदि एनबीएफसी अपने ग्राहकों की ओर से म्यूचुअल फंड यूनिटों की अभिरक्षा कर रहा है तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने स्वयं के निवेश और अपने ग्राहकों से संबंधित निवेशों को एक दूसरे से अलग रखा जाता है।

(ii) अन्य पहलु

(क) एनबीएफसी को म्यूचुअल फंडों वितरण के संबंध में बोर्ड से मंजूर नीति तैयार किया जाना चाहिए। अपने ग्राहकों के लिए संबंधित सेवाओं के लिए इस नीति के अनुसार पेशकश की जानी चाहिए। नीति में ग्राहक उपयुक्तता तथा औचित्य और शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए । सेबी द्वारा समय-समय पर लागू और संशोधित निर्धारित आचार संहिता, का गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अनुपालन किया जाना चाहिए;

(ख) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) दिशानिर्देश और धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना चाहिए।

2. एनबीएफसी को बैंक द्वारा समय-समय पर इस संबंध में निर्दिष्ट अन्य नियम और शर्तों का पालन करना चाहिए।

अनुबंध IV

सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के मुद्दे पर दिशा-निर्देश

एनबीएफसी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए और व्यापार के उनके क्षेत्र के विविधीकरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत चुनिंदा एनबीएफसी को रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के साथ जोखिम बांटने के बिना अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए, दो साल की एक प्रारंभिक अवधि और उसके बाद एक समीक्षा के अधीन अनुमति देने का फैसला किया गया है। निम्नलिखित न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने एनबीएफसी को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए आवेदन करने के पात्र हैं:

(i) ₹100 करोड़ की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि;

(ii) कंपनी ने पिछले दो वर्षों की लेखा परीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार शुद्ध लाभ होना चाहिए;

(iii) एनबीएफसी का शुद्ध अग्रिम करने के विरुद्ध शुद्ध एनपीए का प्रतिशत पिछले ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार 3% से अधिक नहीं होना चाहिए;

(iv) प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकारक एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआईएस और जमा स्वीकारक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-डी) की 15% की सीआरएआर होनी चाहिए।

2. इसके अलावा गैर बैंकिंग कंपनियों को निम्नांकित शर्तों का पालन करना होगा:

(i) **संचालन पहलु**

(क) गठबंधन व्यवस्था के तहत एनबीएफसी की भूमिका केवल सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के विपणन और वितरण तक सीमित होना चाहिए। को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक अपने संबन्धित नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए सभी निर्देशों / दिशा-निर्देशों के अधीन होंगे।

(ख) सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता बैंक गठबंधन व्यवस्था के तहत जारी किए गए सभी सह-ब्रांडेड कार्ड के संबंध में केवाईसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

(ग) को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के कारोबार में शामिल जोखिम है, यदि कोई हो, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के व्यापार को हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिए;

(घ) सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के खाते को-ब्रांडेड कार्ड धारकों द्वारा बैंक में बनाए रखा जाना चाहिए और ग्राहक द्वारा सभी भुगतान बैंक के नाम पर होना चाहिए, गैर बैंकिंग वित्तीय

कंपनी के साथ उपयोगकर्ता के किसी भी सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड से उत्पन्न देयताओं के निपटान के लिए डेबिट नहीं किया जाना चाहिए;

(ई) टाई-अप में प्रवेश करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को ग्राहक के खातों की गोपनीयता सुनिश्चित करना चाहिए । को-ब्रांडिंग एनबीएफसी को खाता खोलने के समय में प्राप्त की गई ग्राहक से संबंधित किसी भी जानकारी का खुलासा नहीं करना चाहिए और सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों खाते और गोपनीयता के दायित्वों का उल्लंघन हो जाएँ ऐसे खातों के ग्राहकों के किसी भी जानकारी का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(च) कार्ड जारी करने वाले बैंक को ग्राहक शिकायतों के निवारण के लिए जगह उपयुक्त तंत्र स्थापित करना चाहिए।क्रेडिट कार्ड सेवा में कमी से उत्पन्न होने वाले ग्राहकों की शिकायते बैंक का दायित्व होगा।

(छ) अदालत ने मामले से उत्पन्न कानूनी जोखिम, यदि कोई हो, नुकसान आदि, जारी करने वाले बैंक द्वारा वहन किया जाएगा।

(ii) **अन्य पहलु**

(क) इन दिशा-निर्देशों के संदर्भ में आवश्यक एनबीएफसी को उचित व्यवहार संहिता लागू चाहिए;

(ख) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपने ग्राहक को जानिए दिशा-निर्देश और धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना चाहिए;

(ग) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को संबंधित एनबीएफसी को लागू अन्य निर्देश और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के साथ पालन किया जाना चाहिए;

(घ) एनबीएफसी को समय-समय पर इस संबंध में बैंक द्वारा निर्दिष्ट अन्य नियम व शर्तों का पालन करना चाहिए।

3. इसके अलावा, कोई भी अवांछनीय / अस्वस्थ संचालन बैंक के ध्यान में आने पर अनुमति को 3 महीने की नोटिस देकर वापस लिया जा सकता है।